

कक्षा
12

कक्षा
12

समाजोपयोगी योजनाएँ

भाग—4

www.rajteachers.com

समाजोपयोगी योजनाएँ
भाग—4



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर

समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-4



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति

पुस्तक-समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-4

लेखकगण

1. स्वच्छता अभियान

- ◆ डॉ. ऋतु सारस्वत
प्राध्यापक-समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)

2. कौशल विकास एवं उद्यमिता

- ◆ डॉ. अनिल उपाध्याय
प्राध्यापक-व्यवसाय प्रशासन
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
अजमेर
- ◆ डॉ. अभिनव कमल रैना
प्राध्यापक-वाणिज्य
महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
चित्तौड़गढ़

3. जल स्वावलंबन

- ◆ डॉ. बी. एल. यादव
प्रोफेसर एवं ओ.एस.डी.
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
- ◆ डॉ. एल. आर. यादव
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)

4. भामाशाह योजना

- ◆ डॉ. प्रकाश कुमार बचलस
प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर
- ◆ श्री अशोक तिवारी
सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य

दो शब्द

विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तक क्रमबद्ध अध्ययन, पुष्टिकरण, समीक्षा और आगामी अध्ययन का आधार होती है। विषय-वस्तु और शिक्षण-विधि की दृष्टि से विद्यालयीय पाठ्यपुस्तक का स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों को कभी जड़ या महिमामण्डित करने वाली नहीं बनने दी जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक आज भी शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया का एक अनिवार्य उपकरण बनी हुई है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में राजस्थान की भाषागत एवं सांस्कृतिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व का अभाव महसूस किया जा रहा था, इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कक्षा-9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अपना पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप बोर्ड द्वारा शिक्षण सत्र 2016-17 से कक्षा-9 व 11 की पाठ्यपुस्तकें बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयार कराई गई हैं। आशा है कि ये पुस्तकें विद्यार्थियों में मौलिक सोच, चिंतन एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेंगी।

प्रो. बी.एल. चौधरी
अध्यक्ष

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

भूमिका

किसी भी देश की उन्नति, किसी एक आधार भूमि पर खड़ी नहीं होती बल्कि उसके लिए विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है, और इस सम्बन्ध में 'सरकारी योजनाएँ' महती भूमिका निभाती है। भारत विकासशीलता के पथ पर चलकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सके, यह देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य की पूर्ति तभी संभव है, जब हमें देश और राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हो। यह योजनाएँ आर्थिक सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य, आर्थिक हितों एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को केन्द्र में रखकर निर्मित की गई है।

— लेखकगण

समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-4

अनुक्रमणिका

1. स्वच्छता अभियान	1 – 9
2. कौशल विकास एवं उद्यमिता	10 – 29
3. जल स्वावलंबन	30 – 38
4. भामाशाह योजना	39 – 49

स्वच्छता अभियान

स्वच्छता हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? स्वच्छता की अवहेलना हमें किन घातक बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है? अस्वस्थता के चलते कैसे हजारों बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं? हमारे द्वारा फैलाया कूड़ा-करकट पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है, इन सारे तथ्यों से हम पूर्व में परिचित हो चुके हैं। हमने यह भी जाना है कि अगर कचरे का प्रबन्धन सही तरीके से किया जाए तो वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो सकता है। स्वच्छता हमारी 'संस्कृति' की पहचान रही, वेदों में इसका विवरण है हमने ये भी जाना। इस देश का सबसे दुखद पहलू यह है कि हम भौतिकता और स्वार्थ हित में इस कदर लिप्त हो गये हैं कि हमने अपनी संस्कृति के मूल भाव को विस्मृत कर दिया है।



एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन

2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'स्वच्छ भारत मिशन' का प्रारम्भ किया। इस मिशन को मूल उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त तथा स्वच्छता के सभी आयामों को प्राप्त करना है। इस मिशन में अनुमानतः 62,000 करोड़ रु. खर्च होंगे। ये मिशन राजनीति से ऊपर और देशभक्ति की भावना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने हर भारतीय को 'स्वच्छ भारत' बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में शामिल होने की अपील की।

स्वच्छ भारत मिशन को आरम्भ करने का कारण – हम सभी जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या 'स्वच्छता' की कमी है। भारत की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक खुले में शौच के लिए जाता है जिसके कारण बच्चों की असमय मौत, संक्रमण और बीमारियाँ फैलती हैं।

उद्देश्य

- भारत में खुले में शौच की प्रवृत्ति की पूर्ण समाप्ति।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों को बहाने वाले शौचालयों में परिवर्तित करना।
- हाथों से मल-सफाई व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना।
- लोगों के व्यवहार में बदलाव कर अच्छे स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना।
- जन-जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई के

कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना।

→ साफ-सफाई से संबंधित सभी व्यवस्था को नियन्त्रित और संचालित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत बनाना।

→ पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रियाओं निपटान का दुबारा प्रयोग और म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का पुनःचक्रण।

सरकार के प्रयास

स्वच्छ भारत मिशन को सही तरीके से लागू करने के लिए 19 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। समिति के अध्यक्ष वैज्ञानिक रघुनाथ अनंत माशेलकर हैं। रघुनाथ अनंत माशेलकर वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् के पूर्व महानिदेशक हैं। समिति का मुख्य कर्तव्य, विभिन्न राज्यों में स्वच्छता और पानी की सुविधा देने के सबसे श्रेष्ठ और आधुनिक तरीकों पर सुझाव देना है।

परियोजना का क्रियान्वयन :-

स्वच्छ भारत मिशन के दो उप अभियान हैं—

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी

इन दो उप मिशनों के लिए पेयजल, स्वच्छता और ग्रामीण विकास के मंत्रालय, ग्रामीण इलाकों में इसकी जिम्मेदारी लेंगे और शहरी विकास मंत्रालय शहरों में इस मिशन का उत्तदायित्व लेगा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय हर गाँव को अगले पाँच सालों तक हर साल 20 लाख रुपए देगा। इस मिशन के तहत सरकार ने हर परिवार में व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपए तय की है। एक अनुमान के मुताबिक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस मिशन पर 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे।

स्वच्छ भारत मिशन के शहरी क्षेत्र में हर घर में शौचालय बनाने, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाने, ठोस कचरे का उचित प्रबन्धन करने और 4,041 वैधानिक कस्बों के 1.04 करोड़ घरों को इसमें सम्मिलित करने का लक्ष्य है। इसमें सार्वजनिक शौचालय की दो लाख से ज्यादा सीट, सामुदायिक शौचालय की भी दो लाख से ज्यादा सीट उपलब्ध कराने और हर कस्बे के ठोस कचरे का उचित प्रबन्धन करना शामिल है। आम स्थानों जैसे— बाजार, रेलवे स्टेशन के पास, बस अड्डे, पर्यटक स्थलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने का लक्ष्य। शहरी विकास मंत्रालय को इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 62,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इस संपूर्ण योजना में, खर्च होने वाली अनुमानित लागत 1,96,000 करोड़ रुपए है। इस राशि में 12 करोड़ शौचालय बनाए जाएँगे।

स्वच्छ भारत मिशन से कैसे जुड़ें

देश में रह रहे सभी भारतीयों के प्रयासों से देश की धरती को हर गँदगी से दूर करने

की मुहिम का नाम ही 'स्वच्छ भारत मिशन' है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि कोई भी इस कार्यक्रम में किसी भी समय सक्रिय रूप से सम्मिलित हो सकता है। उसे बस गँदी जगहों की एक तस्वीर लेनी है और उसके बाद उसे उस जगह की सफाई करने के बाद की तस्वीर लेनी है। फिर पहले और बाद की फोटो सोशल मीडिया, वेबसाइटों जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर अपलोड कर देनी है जिससे इसी तरह का कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति भी इससे परिचित और प्रेरित हों तथा स्वच्छ भारत के स्वप्न को प्राप्त कर भारत के मान में वैश्विक स्तर पर वृद्धि कर सकें।

■ प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा जो भी इस मिशन को आगे बढ़ाएगा उसे सोशल मीडिया वेबसाइटों पर सरकार द्वारा सराहा जाएगा।

निर्मल भारत की ओर : संकल्पना और कार्यनीति

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 2012 से 2022 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता और सफाई कार्यनीति तैयार की है। इस कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य निर्मल भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए ठोस धरातल पर कार्य करना है और एक ऐसा परिवेश बनाना है जो स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हो।



निर्मल भारत :- निर्मल भारत की संकल्पना में एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई है जहाँ खुले स्थान पर शौच करने की पारंपरिक प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए जिससे प्रत्येक जन, आत्मसम्मान का जीवन निर्वाहित कर सके एवं स्वस्थता की ओर बढ़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए विभाग ने आने वाले वर्षों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति बनाई है—

- उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबन्धन के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों को प्रचालित करना।
- ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुभेद्य वर्गों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं में सहयोग को उद्दीपित करना और समर्थ बनाना।
- सभी विद्यालयों में स्वच्छ परिसर का निर्माण।

लक्ष्य

- संपूर्ण स्वच्छता पर्यावरण का सृजन 2017 तक : संपूर्ण स्वच्छता पर्यावरण का सृजन एक स्वच्छ परिवेश की प्राप्ति और खुले स्थान पर शौच त्याग की समाप्ति है। जहाँ मानव मल अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से प्रबन्धन और निपटान किया जाता है।
- उन्नत स्वच्छता प्रथाएँ अपनाना – 2020 तक : स्वच्छता मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को, खास तौर पर बच्चों और देखभालकर्ताओं द्वारा हर समय सुरक्षित स्वच्छता प्रथाएँ अपनाना है।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन-2022 तक : ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन का लक्ष्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन अपनाकर, गाँवों में स्वास्थ्यकर पर्यावरण का निर्माण करना है।

राजस्थान का 'निर्मल भारत' अभियान

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अक्टूबर 2014 में, 'निर्मल भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाया है जो निम्न प्रकार से है:

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण की इकाई लागत को रुपए 10,000/- से बढ़ाकर रुपए 12,000/- कर दिया गया है, जिसमें जल की उपलब्धता, पानी का संग्रहण, हाथ धोने एवं शौचालय के स्वच्छता की सुविधा के व्यवस्था भी सम्मिलित है।
2. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु अलग से प्रावधान किया जाएगा। आगामी आदेशों तक मौजूदा राशि की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम) के तहत ही जारी रहेगी।

निर्मल भारत मिशन का उद्देश्य ही ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल कूड़ा-कचरा प्रबन्धन के माध्यम से ही व्यवस्था के लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। गाँव में बेकार पड़ा ठोस कूड़ा-कचरा पंचायतों के लिए आय का एक स्रोत बन सकता है। इससे ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी।

स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान

राजस्थान सरकार, स्वच्छ भारत का अभिन्न भाग बन, राज्य को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार से पचास हजार का कर्जा लेने वाले काश्तकारों के लिए भी, शौचालय बनाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत मार्च 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के कार्यक्रम में ऐसी कई शर्तें जरूरी की गई हैं। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, समाज कल्याण, चिकित्सा, साक्षरता विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तमाम अधीनस्थ कार्मिकों, संविदा और प्लेसमेंट, कर्मचारियों, मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गाँधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य के दुकानदारों को सम्मिलित किया गया है।

बीकानेर जिला राज्य का पहला खुले में शौच से मुक्त जिला 26 जनवरी 2016 को घोषित किया

गया है। राज्य में अजमेर, पाली, चुरु, झुंझुनु, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में प्रेरकों की टोलियां सरपंच के नेतृत्व में गाँव – गाँव जाकर लोगों को खुले में शौच से होने वाले नुकसान एवं शौचालय के उपयोग के फायदों की जानकारी देकर जागरूक बना रही हैं। ग्रामीण स्वयं अपने शौचालय का निर्माण कर उपयोग सुनिश्चित कर रहे हैं। निगरानी समितियाँ सुबह-शाम खुले में शौच जाने वाले को रोक कर उन्हें शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित कर इस अभियान को सफल बनाने में योगदान कर रही हैं। आज राजस्थान में 2110 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।

स्वच्छता मिशन के चलते ही राजस्थान के कई गाँवों में खुले में शौच की प्रवृत्ति को त्यागने के प्रयास हो रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के गाँव कोरोपुरा की आबादी 700 के करीब है। स्वच्छता मिशन से पहले गाँव के कुछ घरों में ही शौचालय बने हुए थे। गाँव के अधिकांश लोग खुले में ही शौच जाते थे। लेकिन जेईएन के पद पर कार्यरत गाँव के ही एक युवक ने, खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए कोरोपुरा गाँव को गोद लिया और ग्रामीणों से घर घर जा कर समझाइश की। उस समझाइश की परिणति है, आज वह गाँव ओडीएफ अर्थात् खुले शौच से मुक्त हो गया है।

राज्य में उदयपुर जिले की पहली खुले में शौच मुक्त घोषित कठार ग्राम पंचायत की सफलता, स्वच्छता के प्रति राज्य और उसके नागरिकों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कठार की सफलता की कहानी की शुरुआत तब से होती है जब 12 जून, 2015 को जिला कलेक्टर श्री आशुतोष पदुनेकर ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकले। वे कठार ग्राम पंचायत की पावड़िया बस्ती में पहुँचे। वहाँ गँदगी का माहौल देखकर वह क्षुब्ध हुए। कलेक्टर ने ग्रामीणों की चाय-नाश्ते की मनुहार तक ठुकरा दी तब वहाँ की सरपंच सुशीला कुँवर ने ठान लिया कि जब तक पंचायत खुले में शौच मुक्त नहीं होगी तब तक वे कुर्सी पर नहीं बैठेगी। इसे अपने सम्मान से जोड़ते हुए ग्रामीणों ने घरों में शौचालय बनाना शुरू किया। गाँव में गौरव यात्राएँ निकाल कर खुले में शौच मुक्त कराने को लेकर जागरूकता रैलियाँ निकाली गईं। उसके साथ ही गाँव में नुककड़ नाटक द्वारा भी जागरूक किया गया। गाँव के मुख्य मार्गों पर जिनके घर शौचालय नहीं हैं उनका नाम लिखा गया। इस मिशन को तब और बल मिला जब गाँव के स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों ने खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में गाँव वालों को बताया। इसके चलते ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। इतना ही नहीं, प्रत्येक मरीज की पर्ची पर भी लिखा गया कि उनके घर में शौचालय हो। खुले में शौच से मुक्त होने की धुन ऐसी थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत ने कमर कस ली। जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों के साथ 'ज़िद करो' अभियान चला कर जिन घरों में शौचालय नहीं है, उन घरों के बच्चों को ज़िद कराई कि उनके घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए। इस अभियान ने सफलता पाई और उदयपुर की कठार पंचायत ग्राम के, 1200 घरों में शौचालय का निर्माण हो गया। जल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं और मेलिडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से देश भर में उन जिलों की तलाश की गईं जिनमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर काम हुआ। इसके तहत देश में 17 जिलों को चयन किया गया। इस सूची में उदयपुर सहित राजस्थान के तीन जिले सम्मिलित किए गए हैं।

जानने योग्य बातें

■ स्वच्छ भारत आंदोलन की मुहिम आज तक का स्वच्छता से सम्बन्धित किया गया एक बड़ा कदम है। इस अभियान को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तथा आम जन को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों सहित लगभग 3 लाख

कर्मचारियों ने इसके प्रारम्भ होने के दिन भाग लिया।

■ इस अभियान से प्रेरणा लेकर 3 जनवरी 2015 को, इंडो-नेपाल डॉक्टर एसोसिएशन ने एक अभियान की शुरुआत की जिसको "स्वच्छ भारत नेपाल अभियान" कहा गया। इसकी शुरुआत इंडो-नेपाल बॉर्डर क्षेत्र सुनौली-बेलिहिया से हुई।

■ क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशी नगर जिले के खेसिया गाँव की नीलम, कलावती, निरंजन, गुड़िया और सीता को जब पता चला कि ससुराल में शौचालय नहीं है तो उन्होंने विरोध किया और कुछ दिनों बाद वे अपने-अपने मायके लौट आईं। उल्लेखनीय है कि 68वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में प्रत्येक घर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय होने की बात कही थी। इन नवविवाहिताओं ने प्रधानमंत्री की बात की ओर संकेत करते हुए सुविधा की कमी को लेकर पतियों और ससुराल वालों का विरोध किया।

स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों के प्रयास :-

"मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और इसके लिए समय दूँगा। हर वर्ष 100 घंटे यानि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के उस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गँदगी करूँगा और न किसी और को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गाँव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गँदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य सौ व्यक्तियों से भी करवाऊँगा। वह भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूँगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।"

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को देश के सभी नागरिकों को दिलवाई गई इस शपथ को आप पुनः दोहराएँ और इसके प्रत्येक शब्द को आत्मसात् करें।

- अपने विद्यालय के मैदान को साफ करें।
- स्कूल के बगीचों का रखरखाव और सफाई करें।
- अपने गाँव के लोगों को सफाई के प्रति जागृत करें।
- अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उसे रोकें और समझाएँ।
- स्वच्छ भारत अभियान के वाहक बनें।

अनुकरणीय

(I) हमारे मन में पुनः-पुनः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विद्यार्थी, स्वच्छता अभियान में वास्तव में सहयोग कर सकते हैं? यह प्रश्न स्वयं विद्यार्थियों के मन में उपजता है। परन्तु इन सारे प्रश्नों का उत्तर है, राजस्थान के अलवर जिले का गाँव 'अलवड़ी'। यहाँ का माध्यमिक स्कूल बाहर से आम स्कूल की तरह से लगता है। परन्तु स्कूल में प्रवेश करते हुए उसकी उजली तस्वीर दिखाई देती है। विद्यालय के नियम-कायदों के निर्माण और उनके अनुपालन की निगरानी करने के लिए अभिभावकों की एक 13 सदस्यीय समिति का गठन

किया गया है। जिसके अध्यक्ष सरपंच छोटू खॉ हैं। विद्यालय में एक 10 सदस्यीय 'बाल संसद' का गठन किया गया है। विद्यालय की स्वच्छता से प्रशासन तक के कार्यों में 'बाल संसद' अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। बच्चे हर हफ्ते विद्यालय की स्वच्छता पर एक परिचर्चा करते हैं और उसके अंत में विद्यालय को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं। विद्यालय की दीवारें, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़े पोस्टरों, चित्रों और नारों से अटी पड़ी हैं। यह सब बच्चों द्वारा निबन्ध, वाद-विवाद, चित्रकला, सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिता के अन्तर्गत तैयार सामग्रियाँ हैं, विद्यालयों में पीने का पानी, टैंकर रखा जाने लगा है।

बच्चे शौचालय के प्रयोग के प्रति जागरूक हो गए हैं। स्वच्छता की परिभाषा को विस्तार देकर बच्चों ने पौधारोपण को भी इसका अंग बना लिया है।

विद्यार्थियों की जगाई गई अलख ने, राज्य के अन्य विद्यार्थियों को एक नई राह दिखाई।



(ii) इसी तरह राजस्थान की एक पंचायत ने मिसाल पेश करते हुए एक अनोखा फैसला किया है। जालौर जिले की आनवजोल ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है कि जिस लड़के के घर में शौचालय नहीं होगा, वहाँ कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहेगा।

(ii) क्या आप जानते हैं कि जिस सुलभ शौचालय को आप बस स्टैण्ड, सार्वजनिक जगहों और अपने नगर के कई हिस्सों में देखते हैं, उसके संस्थापक कौन हैं? चार दशक पूर्व 'सुलभ शौचालय' की शुरुआत हुई। डॉ. विदेश्वर पाठक ने 'सुलभ इंटरनेशनल' नामक संगठन की स्थापना 1970 में की थी। शौचालय पद्धतियों में बदलाव लाने का काम जब उन्होंने शुरू किया था तो लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएँ थीं पर आज उनका संगठन 'सुलभ इंटरनेशनल' एक ब्राण्ड बन चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने भी अपनी पुस्तक 'मिशन इंडिया' में स्वच्छता के क्षेत्र में उनके योगदान की चर्चा की। गाँधीजी के इन शब्दों की "पहले भारत को स्वच्छ करो, आजादी हम बाद में हासिल कर सकते हैं", ने उन्हें खासा प्रभावित किया और वे गाँधीजी के स्वच्छता मिशन से जुड़ गए। समाज को दिए अपने अमूल्य

योगदान के लिए विदेश्वर पाठक को राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जिसमें 'एनर्जी ग्लोब पुरस्कार', प्रियदर्शनी पुरस्कार, दुबई अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार, अक्षय ऊर्जा पुरस्कार तथा भारत सरकार की ओर से पद्मभूषण शामिल है।

स्वच्छता के बारे में हम चाहे कितनी भी बातें क्यों न करें, जब तक हम स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर लें कि हम स्वयं स्वच्छ रहेंगे और जहाँ हमें गँदगी दिखेगी उसे दूर करेंगे तब तक स्वच्छता अभियान सार्थक नहीं हो पाएगा। हमने ऐसे कई उदाहरणों को देखा जहाँ एकल और सामूहिक प्रयासों से, स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल किया गया है। हमारा राज्य आज भी स्वच्छता के संदर्भ में देश के कई राज्यों से पीछे है और यह तभी आगे आ सकता है जब हम स्वच्छता की शपथ को, शब्दों के उच्चारण से न दोहरा कर जीवन में आत्मसात करें। जब इंदौर के आठ वर्ष का वज्रांग स्वच्छता को जीवन में उतार सकता है, आसपास के व्यक्तियों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करता है तो आप क्यों नहीं? 'हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा।' शपथ की इस पंक्ति को अपने जीवन में उतारिये और देखिए कैसे आपका राज्य स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। आपका देश आपकी पहचान है, स्वच्छता अभियान का यही संदेश है कि आप अपनी पहचान को धूमिल न होने दें।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'स्वच्छ भारत मिशन' किस वर्ष आरम्भ हुआ?

(अ) 17 सितम्बर 2014	(ब) 16 अक्टूबर 2014	
(स) 2 अक्टूबर 2014	(द) 27 जुलाई 2015	()
2. स्वच्छ भारत मिशन के कितने उप अभियान हैं?

(अ) 2	(ब) 3	
(स) 4	(द) 5	()
3. स्वच्छ भारत नेपाल अभियान किस वर्ष आरम्भ हुआ?

(अ) 2013	(ब) 2015	
(स) 2010	(द) 2011	()
4. सुलभ इंटरनेशनल नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई?

(अ) 1970	(ब) 2010	
(स) 2005	(द) 1985	()
5. धौलपुर जिलों की इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत का कौन-सा गाँव खुले में शौच से मुक्त हुआ है?

(अ) कोरीपुरा	(ब) अफजलपुर	
(स) बीरपुर	(द) जानपुरा	()

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. 'स्वच्छ भारत मिशन' किस महापुरुष की जयंती पर प्रारम्भ किया गया?
2. 'स्वच्छ भारत मिशन' समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
3. खुले में शौच से मुक्त, राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा?
4. जालौर जिले की आनवजोल ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के संदर्भ में क्या निर्णय लिया है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. स्वच्छ भारत मिशन के तीन उद्देश्य लिखें।
2. 'निर्मल भारत' की संकल्पना से आप क्या समझते हैं ?
3. राजस्थान का निर्मल भारत अभियान, में शौचालय के निर्माण की लागत, कितनी बढ़ाई गई और उसमें कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं ?
4. सुलभ इंटरनेशनल संगठन की स्थापना किसलिए की गई ?
5. स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान, अभियान के बारे में संक्षिप्त में लिखें।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. 'स्वच्छ भारत मिशन' के बारे में विस्तार के बताएँ।
2. उदयपुर जिले की कठार ग्राम पंचायत की सफलता की कहानी लिखें।
3. 'स्वच्छ भारत मिशन' में विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, बताएँ।

उत्तरमाला : (1) स, (2) अ, (3) ब, (4) अ, (5) अ

कौशल विकास एवं उद्यमिता अनुक्रमणिका

सीखने के बिन्दु

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे

- उद्यमिता तथा उद्यमी के कार्य एवं सफल उद्यमी के गुण
- राष्ट्रीय अर्हता रूपरेखा तथा इसकी आवश्यकता।
- कौशल अर्हता विकास एवं रोजगार तथा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास
- राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रमुख नवाचार एवं कौशल नियोजन
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की महत्वपूर्ण योजनाएँ
- रिसर्जेंट राजस्थान लक्ष्य एवं प्राप्ति

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता

किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती में वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक आयु समूह में है। भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा मिलना निश्चित है। हमारे पास 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं तथा ना सिर्फ अपने, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। हाल ही में मंजूरी की गई प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहारकुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल हैं। नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाने की योजना है।

कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाईनर, कम्प्यूटर कोर्स, वास्तुविद्, टेलीविजन, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, सौन्दर्य कला, होटल उद्योग, नर्सिंग जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं जिनमें कौशल विकसित कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। कौशल विकास कार्यक्रम सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों की अपेक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान देकर अपना कैरियर स्वयं की प्रतिभा से चुनने, स्वरोजगार को अपनाने, हुनर को सीखने तथा हुनर को अपनाकर स्वाबलम्बी एवं रोजगार प्रदाता बनने पर जोर देता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता आज प्रत्येक राष्ट्र का अनिवार्य एवं प्राथमिक उत्तरदायित्व बन गया है। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण कौशल विकास एवं उद्यमिता की भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है। आज प्रत्येक राष्ट्र कौशल विकास एवं उद्यमिता पर सर्वाधिक ध्यान दे रहा है, तथा इनके विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार अनेक प्रकार की योजनाओं एवं प्रेरणाओं का संचालन कर रही हैं। व्यापक रूप में कौशल विकास एवं उद्यमिता से आशय ऐसी योग्यताओं में वृद्धि कर समाज में नए उद्यमियों को तैयार करना है, जिसके द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।

उद्यमी

उद्यमी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करता है। वह उद्योग की स्थापना करता है साथ ही इसमें नवाचार, नियोजन तथा कुशल प्रबंध का संचार भी करता है। उद्यमी व्यक्ति नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना का जोखिम उठाता है तथा आवश्यक संसाधन एकत्रित कर उसका उचित प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में उसे नेतृत्व, सृजनात्मकता तथा नवाचार कार्य भी करने होते हैं।

उद्यमी की परिभाषा

एफ एच नाइट के अनुसार – “उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं।”

अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार – “उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, जो किसी कार्य के लिए आवश्यक पूँजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो उसकी सूक्ष्म बातों का निरीक्षण करता है।”

पीटर एफ ड्रकर के अनुसार – “उद्यमी सदैव परिवर्तन की खोज करता है, उस पर अनुक्रिया करता है और एक अवसर के रूप में उसका विदोहन करता है।”

एच डब्ल्यू जानसन के अनुसार – ‘उद्यमी तीन आधारभूत तत्वों का योग है – (1) अन्वेषण (2) नवाचार एवं (3) अनुकूलन।

उद्यमी की उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में उद्यमी की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है – ‘उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, संसाधनों (मानवशक्ति), तकनीक, सामग्री एवं पूँजी आदि को

एकत्रित करता है, नवाचार को जन्म देता है, जोखिम वहन करता है तथा अपने चातुर्य एवं तेज दृष्टि से असाधारण परिस्थितियों का सामना करता है एवं लाभ कमाता है।

उद्यमी के कार्य (Functions of Entrepreneurs)

उद्यमी के कार्य समय, स्थान, परिस्थितियाँ, आर्थिक विकास की स्थिति, साधन एवं आकार के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। उद्यमी के कार्यों को अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार समझा जा सकता है—

1. उपक्रम के प्रवर्तन संबंधी कार्य (Functions relating to Promotion of Enterprise)

उद्यमी का सर्वप्रथम कार्य व्यावसायिक अवसरों की जाँच करने के पश्चात् उपक्रम का प्रवर्तन या उद्यमी की स्थापना करना होता है। इस संबंध में एच एन पाठक ने कहा कि, “अवसरों का ज्ञान करना एवं इस ज्ञान के आधार पर औद्योगिक इकाई स्थापित करना उद्यमी के दो प्रमुख कार्य हैं।

उपक्रम प्रवर्तन के संबंध में उद्यमी के निम्नलिखित कार्य हैं —

- 1 व्यावसायिक विचार को जन्म देना।
- 2 विचार से संबंधित आवश्यक तथ्यों एवं जानकारियों को प्राप्त करना, विचार की व्यावहारिकता और लाभदेयता की जाँच करना।
- 3 उपयुक्त स्वामित्व का चयन करना।
- 4 उपक्रम के आकार का निर्धारण करना।
- 5 उपक्रम के स्थान का निर्धारण करना।
- 6 संयंत्र अभिन्यास तैयार करना।
- 7 पूँजी की आवश्यकता का अनुमान लगाकर वित्तीय नियोजन करना।
- 8 पंजीयन एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी करना।
- 9 आवश्यक संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना।

2. जोखिम वहन करने संबंधी कार्य – (Functions relating Risk-bearing)

उद्यमी का दूसरा मुख्य कार्य जोखिम—वहन करना अथवा उठाना है। व्यवसाय चाहे छोटे पैमाने पर किया जाए अथवा बड़े पैमाने पर, सभी में जोखिम अवश्य होती है, जिन्हें उठाए बिना व्यवसाय के संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आधुनिक व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की जोखिमें एवं अनिश्चितताएँ बनी रहती हैं।

उद्यमी के जोखिम वहन करने संबंधी कार्य निम्न हैं—

- 1 माँग के उच्चावचन या परिवर्तन संबंधी जोखिम
- 2 रुचि फ़ैशन एवं माँग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिम
- 3 सरकारी नीति में परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम
- 4 व्यापार चक्रों से उत्पन्न जोखिम
- 5 व्यावसायिक वातावरण में व्यापक परिवर्तनों से उत्पन्न जोखिम।
- 6 मानवीय संबंधों एवं अकार्यकुशलता से उत्पन्न जोखिम।

3. प्रबंध, संगठन एवं नियंत्रण संबंधी कार्य (Functions relating Management Organization and Control)

उद्यमी को उपक्रम के प्रवर्तन कार्य के साथ-साथ उपक्रम के कुशल संचालन हेतु प्रबंध, संगठन एवं नियंत्रण संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं। उद्यमी के कुछ प्रमुख प्रबंध संगठन संबंधी कार्य निम्न हैं —

- 1 उपक्रम के उद्देश्य या लक्ष्यों एवं नीतियों को निश्चित करना।
- 2 सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपना

- 3 सभी विभागों एवं उप-विभागों में समन्वय स्थापित करना।
- 4 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्य के प्रति अपनत्व की भावना जागृत करना।
- 5 कर्मचारियों का विकास करने के लिए समुचित अभिप्रेरणा एवं उचित संप्रेषण व्यवस्था करना।

वि 1 संबंधी कार्य (Functions relating Finance)

उद्यमी का चौथा प्रमुख कार्य उपक्रम की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आवश्यक वि 1 की व्यवस्था करना है। अतः उद्यमी के वित्त संबंधी निम्नलिखित कार्य हैं—

- 1 विवेकपूर्ण वित्तीय नियोजन करना।
- 2 वित्तीय स्रोतों का निर्धारण करना।
- 3 स्थायी एवं कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करना।
- 4 विभिन्न वित्तीय स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपेक्षाकृत मितव्ययी वित्तीय स्रोतों का चयन करना।

नव-प्रवर्तन संबंधी कार्य (Functions relating to Innovation)

एक विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उद्यमी से आशय 'नव-प्रवर्तक' से लगाया जाता है। अतएव उद्यमी का प्रमुख कार्य नव-प्रवर्तन करना है। इस संबंध में पीटर. एफ. ड्रकर ने कहा है कि, "व्यवसाय के लिए बड़ा होते रहना उतना आवश्यक नहीं जितना कि निरंतर नवीन होते रहना।" जोसेफ शुम्पीटर एवं फ्रेंज जैसे अर्थशास्त्रियों ने नव-प्रवर्तन को उद्यमी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना है। उद्यमी के नव-प्रवर्तन संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं—

- 1 नयी वस्तुओं की खोज व उत्पादन करना।
- 2 वस्तुओं की किस्म, आकार, रंग एवं डिजाइन तथा पैकिंग आदि में सुधार करना।
- 3 वस्तुओं के नये-नये उपयोगों की तलाश करना।
- 4 नये बाजारों की खोज करना।
- 5 मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में नये विचारों को लागू करना।

6. अन्य कार्य (Functions relating to other Activities)

उद्यमी के उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी हैं, जिन्हें इस प्रकार बताया जा सकता है :

1. नये अवसरों की खोज करना (Searching new Opportunities)— उद्यमी का कार्य केवल यही नहीं है कि वह उद्योग की स्थापना करे एवं उसका संचालन करे। उसे सदैव लाभ के नये-नये अवसरों की खोज करते रहना चाहिए।
2. विकास कार्यक्रमों में भाग लेना (Participation in Development Programmas) उद्यमी का एक यह भी कार्य है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग ले, उद्यमी द्वारा भाग लेने पर उद्यमिता विकास के नये-नये अवसरों की जानकारी होगी।
3. सामाजिक विकास में योगदान देना (Contributing towards Social Development) उद्यमी को समाज की रचना, सामाजिक संसाधनों का कुशल प्रयोग, रोजगार के सृजन एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का कार्य करना चाहिए।

सफल उद्यमी के गुण—

उद्यमी की सफलता उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर निर्भर करती है। वह विभिन्न कार्यों में पहल करता है। अतः कुशल एवं आत्म-विश्वासी होता है। इमर्सन का यह कथन सत्य है कि व्यवसाय चातुर्य का खेल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। आस्कर वाइल्ड का तो यहाँ तक लिखना है कि 'साहसी या उद्यमी वे व्यक्तित्व हैं जो युग को गति

प्रदान करते हैं” उद्यमी अपने विवेक, चार्तुय एवं निर्णयन क्षमता से व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, वास्तव में उद्यमी होने का अर्थ ही विभिन्न गुणों या विशेषताओं का धनी होना है। गार्डन बी बेट्टी का मत है कि ‘उद्यमी होने का आशय, व्यक्तिगत गुणों को वित्तीय संसाधनों के साथ संयोजित करना है।’

एक सफल उद्यमी के गुणों की एक निश्चित सूची बनाना कठिन है। लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा बतलाये गये गुणों के आधार पर एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।

1. शारीरिक गुण – (Physical Qualities)

1. उत्तम स्वास्थ्य (Good Health)– उद्यमी का सबसे बड़ा गुण उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही उपक्रम के अन्य कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। इसके अलावा उत्तम स्वास्थ्य होने से कार्यक्षमता में वृद्धि भी हो जाती है।

2. प्रभावशाली व्यक्तित्व (Effective Personalities)- उद्यमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी अच्छी ऊँचाई, सुंदर रंग, शालीनता, गंभीरता, धीरता एवं उत्साह आदि होने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति से प्रभावी ढंग से व्यवहार एवं बातचीत की जा सके।

3. प्रसन्न मुद्रा (Cheerful looking) – उद्यमी में प्रसन्न मुद्रा का भी गुण होना चाहिए। यदि वह प्रसन्न, हँसमुख एवं तरोताजा रहता है तो अगला पक्षकार उससे प्रभावित हो जाता है।

2. मानसिक गुण (Mental Qualities)

1 प्रखर बुद्धि (Sharp Mind) – उद्यमी की प्रखर अथवा तेज बुद्धि होनी चाहिए ताकि वह शीघ्रता से निर्णय ले सके, अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश दे सके और आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र जवाब दे सके।

2 सतर्कता (Alertness)– उद्यमी को व्यवसाय, बाजार तथा प्रतिस्पर्धियों की गतिविधि तथा नवीनतम परिवर्तनों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। ऐसा होने पर साहसी प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपने उपक्रम में न केवल अस्तित्व बरकरार रख सकता है, अपितु अन्य उपक्रमों की तुलना में वह अपनी स्थिति को अधिक सुदृढ़ बना सकता है।

3. कल्पना शक्ति (Imaginative) – उद्यमी में कल्पना शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इसी के आधार पर साहसी उपक्रम की कल्पना करता है, उसको मूर्त रूप देता है, व्यवसाय संचालन की योजना बनाता है तथा उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन उद्यमी की कल्पना शक्ति तथा उच्च महत्वाकांक्षा वास्तविक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए।

उद्यमिता विकास में एक अनूठा प्रयास

राजस्थान में उद्यमिता के विकास हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना 24 अप्रैल 2004 को तत्कालीन व वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की प्रेरणा एवं प्रयासों से संभव हुई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भारत में यह पहला प्रयास है। इस केन्द्र ने लगातार अपनी उपलब्धियों द्वारा इसकी महत्ता को सिद्ध किया है। देश की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर छात्रों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, यह केन्द्र इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह केन्द्र N.I.S.B.U.D. नोएडा के भागीदार संस्थान के रूप में कार्यरत है। डॉ. बी.पी. सारस्वत इस केन्द्र के संस्थापक निदेशक हैं और अभी भी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ पूर्ण कुशलता तथा सक्षम नेतृत्व द्वारा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में इस केन्द्र द्वारा निम्न पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है—

- 1 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (Dual Specialization)
- 2 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (Executive Programme)
- 3 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (E-Commerce)
- 4 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (Entrepreneurship and Family Business Management)

इस केन्द्र द्वारा समय-समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं :-

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (E.D.P)
2. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (E.S.D.P)
3. उद्यमिता जागरूकता शिविर (E.S.C)

विगत वर्षों की केन्द्र की गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- 1 अभी तक 57 उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए जा चुके हैं जिनसे 1600 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया है।
- 2 इस केन्द्र द्वारा अभी तक 10 उद्यमिता विकास कार्यक्रम सम्पन्न किए जा चुके हैं, जिनमें चिकित्सा विज्ञान व अभियांत्रिकी जैसे विषयों पर भी आयोजन हुआ है।
- 3 विश्वविद्यालय पर महाविद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन हेतु 21 दिवसीय तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं।
- 4 महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु छः विशेष कौशल आधारित कार्यक्रम सम्पन्न हो चुके हैं।
- 5 अब तक इस केन्द्र द्वारा उद्यमिता विषय पर 4 अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इनका आयोजन सन 2005, 2007, 2011 व 2014 में किया गया।

राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा National Skills Qualifications framework

राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (एन.एस.क्यू.ए.) ज्ञान, कौशल, और अभिरूचि के स्तरों की अर्हता को सुनियोजित करता है। ये स्तर शिक्षण परिणाम के सन्दर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण – परिणामों को औपचारिक, गैर- औपचारिक, या अनौपचारिक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) के लिए शिक्षण परिणाम स्तर धारित करना आवश्यक है। शिक्षण परिणाम यह व्यक्त करता है कि प्रशिक्षु किसी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण होने पर क्या कुछ जानता है, समझता है और क्या करने में समर्थ है? इस प्रकार शिक्षण परिणाम उसके ज्ञान, कौशल और सक्षमता के सन्दर्भ में प्रकट किया जाता है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा एक गुणवत्ता आधारित रूपरेखा है। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर समेकित शिक्षा तथा सक्षमता पर आधारित रूपरेखा है जिससे व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों के भीतर तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बीच अनेक नए अवसर उपलब्ध होंगे। एन.एस.क्यू.ए. के परिणाम स्वरूप शिक्षण का एक स्तर दूसरे उच्च स्तर से जुड़ेगा। इससे व्यक्ति वांछित योग्यता तथा सक्षमता स्तर प्राप्त करके रोजगार के लिए उपयुक्त हो सकेगा। भविष्य में अपनी योग्यता तथा सक्षमता को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्ति के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उपर्युक्त प्रयासों द्वारा प्रशिक्षुओं को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रवीणता प्राप्त संभव हो सकेगी। एन.एस.क्यू.ए. द्वारा विभिन्न शिक्षण स्तरों पर कौशल प्रवीणता को मान्यता प्रदान करने के राष्ट्रीय सिद्धान्त विकसित किए जाने की योजना है जिससे हमारे शिक्षण स्तरों में अन्तरराष्ट्रीय स्तरों की समतुल्यता प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही साथ इससे आजीवन शिक्षण कौशल विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर अवसर उपलब्ध हो

सकेंगे। भारत सरकार का राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा विकसित करने का यह ध्येय है कि जिससे रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय तंत्र स्थापित हो।

भारत में अर्हता रूपरेखा की आवश्यकता—

वर्तमान में भारत में सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। इन सभी के बीच विचारों का बहुत कम आदान-प्रदान होता है। व्यावसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाना सुसाध्य बनाने के लिए भारत के लिए अर्हता रूपरेखा अर्थात् राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा को और अधिक बोधगम्य और पारदर्शी बनाने की योजना है। राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा की आवश्यकता को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है—

- अभी तक शिक्षा और प्रशिक्षण का केन्द्र अधिकांश निविष्टि पर रहा है। एन.एस.क्यू.ए. परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर केन्द्रित है। कोई व्यक्ति किसी शिक्षण प्रक्रिया के पूर्ण होने पर क्या जानता है, समझता है तथा क्या करने में समर्थ है? यह आसानी से इससे पता लग सकेगा।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अध्ययन और उन्नयन हेतु सुस्पष्ट व्यवस्था तथा गतिशीलता की आवश्यकता है। जिससे संस्थान, विद्यार्थी और नियोक्ता को यह जानकारी हो सके कि विशेष पाठ्यक्रम को शुरू करने के बाद वे क्या कर सकते हैं?
- देश के सभी संस्थानों में विविध अर्हताओं से जुड़े परिणामों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक संस्थान की पाठ्यक्रम अवधि, पाठ्यक्रम, प्रवेश नियम तथा उपाधि भी अलग-अलग हैं। जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री की समकक्षता को स्थापित करने में समस्या आती है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की रोजगार अर्हता और गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। एन.एस.क्यू.ए. इन सभी दिशाओं में समानता तथा एकरूपता के लिए कार्य करेगा।
- अधिकतर भारतीय अर्हताएँ अन्तरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकार नहीं की जा जाती हैं। इससे उन विद्यार्थियों और कामगारों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है जो विदेशों में रोजगार अवसरों को खोजते हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मजबूरन उन्हें इन अर्हताओं को, जो उस मेजबान देश में स्वीकृत की जा जाती हैं, को हासिल करने के लिए फिर से पाठ्यक्रम करना पड़ता है। एन.एस.क्यू.ए. भारतीय अर्हताओं को संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय अर्हताओं के समकक्ष लाने में सहायक होगा।
- इससे भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की विविधता को आत्मसात करने पर बल दिया जाना संभव होगा।
- इससे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा उन्नति तथा कौशलता वृद्धि का अवसर उपलब्ध होगा।
- शिक्षा और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय विनियामक और गुणवत्ता आश्वासन का आधार तैयार होगा।
- भारतीय अर्हताओं की तुलनीयता तथा महत्व की अधिक मान्यता के जरिए एन.एस.क्यू.ए. अनुकूलन अर्हताओं के साथ लोगों के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय गतिशीलता में वृद्धि व सहयोग प्रवृत्ति विकसित करेगा। एन.एस.क्यू.ए. अन्य देशों के साथ भारतीय कौशल अर्हता स्तरों के संधि और अनुरूपण के उपाय उपलब्ध कराएगा। जिससे भारतीय कामगारों को सहूलियत होगी।

■ पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता (आर.पी.एल.)एन.एस.क्यू.ए. का अति महत्वपूर्ण सम्बद्ध कार्य है, विशेष रूप से भारतीय सन्दर्भ में जहाँ अधिकतर कार्यबल ने अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। एन.एस.क्यू.ए. उन व्यक्तियों की मदद करेगा जिन्होंने इस प्रशिक्षण की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण को अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर दिया जाएगा, विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गये छात्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में लगभग 2300 केन्द्रों के एन.एस.डी.सी. के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। योजना के तहत एक कौशल विकास प्रबन्धन प्रणाली (एस.डी.एम.एस.) भी तैयार की गई है। जो सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के विवरणों और प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की जाँच करेगी एवं उन्हें दर्ज भी करेगी। इसके अन्तर्गत लगभग 1120 करोड़ रुपये के व्यय से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें पूर्व शिक्षण-प्रशिक्षण को चिह्नित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा इस मद पर 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त युवाओं को जुटाने तथा जागरूकता फैलाने के लिए 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की “मेक इन इण्डिया” अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के रूप में अहम पहल है।

इस दिशा में उठाए गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नयी राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गयी है। इस नीति के जरिये उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूप-रेखा तैयार की जा रही है। इस दिशा में प्रयास मिशन के तौर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत तीन संस्थान कार्य कर रहे हैं।

1. राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और उनकी समीक्षा भी कर रही है।
2. नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय प्रधानमंत्री की परिषद, नियमों को लागू करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहा है।
3. एन.एस.डी.सी. एक गैर लाभ कम्पनी है और गैर संगठित क्षेत्र समेत श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा कर रही है। भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र भी बन जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी की

अपनी तरह की एक अनटूी ससंथा है । इस निगम का लक्ष्य भारत में कौशल विकास को बढावा देना है । निगम उद्यमियों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को धन उपलब्ध कराने के माध्यम से कौशल विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है । राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा एक गैर लाभ वाली कंपनी के रूप में किया गया है । इसका इक्विटी आधार 10 करोड़ रुपये का है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत और शेष 51 प्रतिशत निजी क्षेत्र का भाग है ।

विजन (Vision Statement)

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना एक कौशल विकास मिशन के रूप में सभी क्षेत्रों में कुशल श्रम शक्ति की माँग को पूरा करने, और कौशल की माँग और आपूर्ति के बीच मौजूदा खाई को पाटने के उद्देश्य से की गयी है ।

मिशन (Mission Statement)

- महत्वपूर्ण उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से कौशल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाना है और मानकों, पाठ्यक्रमों और गुणवत्ता के साथ आवश्यक ढाँचे का विकास करना है ।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल के माध्यम से कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल को उन्नत करना, सहयोग देना और समन्वय स्थापित करना है ।
- निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण परिचालन एवं वित्तीय भागीदारी के लिए प्रयास करना ।
- समाज के वंचित वर्गों और देश के पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके ।
- वित्त पोषण प्रदान कर एक "बाजार निर्माता" की भूमिका निभाना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ बाजार तंत्र अप्रभावी है ।

उद्देश्य (Objectives)

एनएसडीसी का गठन मुख्य रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की पहल को बढावा देने तथा वर्ष 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को स्किलिंग/अप-स्किलिंग के समग्र लक्ष्य (30 प्रतिशत) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देना, और धन उपलब्ध कराना है ।

एनएसडीसी को एक संरचना और प्रशासन मॉडल की आवश्यकता है, जो इसे स्वायत्तता, एक निश्चित आकार और निरंतरता प्रदान करे । इस निगम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए निम्नलिखित कार्य प्रणाली बनायी गयी है:-

1. राष्ट्रीय कौशल विकास कोष
2. निर्देशक मण्डल
3. बोर्ड उप समितियाँ
4. कार्यकारी परिषद

एनएसडीसी व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए निधि प्रदान करने के आवेदनों को चुनने के लिए एक विकसित और चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाती है । इस निगम द्वारा क्षेत्र कौशल परिषदों (एस.एस.सी.) की स्थापना की गई है । एसएससी एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती

है। एसएससी उद्योग क्षेत्र के लिए मौजूदा व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के पूरक के रूप में प्रयासरत है।

गतिविधियाँ

1. अनुसंधान का आयोजन :- उद्योग क्षेत्र के लिए कौशल सूची डेटाबेस का निर्माण, कौशल विकास में अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों की समीक्षा करना और कौशल अंतर की पहचान करना और इस अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देना।
2. वितरण तंत्र :- प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु शैक्षिक संस्थानों से सहयोग ताकि उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का कौशल उन्नयन हो।
3. गुणवत्ता आश्वासन:- एक मजबूत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और मान्यता प्रणाली की स्थापना करना।

क्षेत्र कौशल परिषदों (एस.एस.सी.) के महत्वपूर्ण कार्य

अनुसंधान	प्रतिपादन प्रणाली	गुणवत्ता आश्वासन
कौशल डेटाबेस का विकास प्रमाणीकरण क्षेत्र विशेष के योग्यता मानकों का विकास उद्योगों को कैरियर मार्गदर्शन	मौजूदा पाठ्यक्रम का अध्ययन और विकास उद्योग और संस्थानों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण उद्योगों में मौजूदा कर्मचारियों का प्रशिक्षण	सुव्यवस्थित प्रमाणीकरण प्रक्रिया की स्थापना कर्मचारियों के लिए प्रमाणन परीक्षण प्रशिक्षकों के लिए प्रमाणन परीक्षण
अंतरराष्ट्रीय मानकों का संदर्भ मानदंड तैयार मानव संसाधन की उत्पादकता का विश्लेषण उचित शिक्षण प्रौद्योगिकी की पहचान	प्रशिक्षण प्रणाली का विकास ----- -----	क्षेत्र विशेष के संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रत्यापन ----- -----

टिप्पणी :- संदर्भ : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वेबसाइट <http://pib.nic.in/>

सक्षम भारत – एजूकेटिंग एंड स्किलिंग

1. स्किल इंडिया

स्किल इंडिया के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम :-

- कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय का सृजन
- राष्ट्रीय कौशल मिशन एवं राष्ट्रीय कौशल विकास नीति
- 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
- स्किल प्रोग्राम के स्किल सर्टिफिकेशन को विद्यालय के अन्तर्गत शैक्षिक समानता प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- रुपये 1500 करोड़ का योजना परिव्यय,
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- 3 वर्षों में 10 लाख ग्रामीण युवकों

को प्रशिक्षित करना,

- ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के लिए ज्यादा अवसर देने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन,
- 11000 से ज्यादा आईटीआई के लिए ई-सर्टिफिकेट और सभी जगह से सूचना एकत्र करना जैसी विशेषताओं के साथ समर्पित पोर्टल का शुभारम्भ।

2. एजूकेट इंडिया

एजूकेट इंडिया के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमः—

- SWAYAM - ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए मेसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCs) पर बल देना,
- शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए – शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन का शुभारम्भ,
- UDAAN - कन्याओं की शिक्षा के विकास के लिए समर्पित योजना,
- नेशनल ई-लाइब्रेरी – शैक्षिक सामग्री तथा ज्ञान के स्रोतों तक व्यापक पहुँच,
- GIAN (ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क) – समूचे विश्व के अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं के श्रेष्ठ शिक्षकों को भारत में पढ़ाने के लिए लाना,
- 5 नई IITs एवं 6 नए IIMs के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त अनेक संस्थान स्थापित करने की योजना,
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल – केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म,
- प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम – छात्रों के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक कार्यक्रम।

कन्वर्जेन्स योजना (राजस्थान)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कन्वर्जेन्स स्कीम एवं स्पेशल प्रोजेक्ट आरम्भ किए गए हैं। कन्वर्जेन्स स्कीम के अन्तर्गत 8 विभागों क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद्, जनजाति क्षेत्रीय विकास, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं वन विभाग के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2015 तक 16360 आशार्थियों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

कन्वर्जेन्स प्रोत्साहन (Convergence Initiative)

राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित समस्त लघु अवधि कौशल विकास योजनाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण योजना (E.L.S.T.P.) के माध्यम से ही संचालित किए जाने हेतु अभिसरण योजना लागू की गई है। कन्वर्जेन्स योजना के अन्तर्गत 8 विभाग क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, जनजाति क्षेत्रीय विकास परिषद्, श्रम विभाग, अल्प संख्यक विभाग एवं वन विभाग के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कन्वर्जेन्स योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2015 तक 16360 आशार्थियों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रमुख नवाचार

1. परिधान विनिर्माण एवं खुदरा परिचालन विषय पर प्रशिक्षण हेतु आर.एस.एल.डी.सी. ने निट के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। जिसके अन्तर्गत जयपुर एवं जोधपुर में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।
2. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए उदयपुर में आजीविका ब्यूरो (एन.जी.ओ.) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. टेरा कोटा की कलाकृतियों के प्रशिक्षण हेतु आर.एस.एल.डी.सी. ने "जय भैरव कल्याण समिति" बीकानेर के सहयोग से बीकानेर सीमा क्षेत्र के कोलायत में मिट्टी के कारीगरों के लिए कौशल विकास के विभिन्न पाठ्यक्रम तथा हस्तशिल्प, टेराकोटा एवं मिट्टी के बर्तन के निर्माण कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. आधुनिक डिजाईन, खुदरा संचार, नीले रंग के मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों की साक्षरता के लिए कोट जेवर दूदू में प्रशिक्षण दिया जाता है।
5. झालावाड़ जिले के आई.टी.आई. परिसर में एक उत्कृष्टता केन्द्र में केटरपिलर द्वारा कौशल नवाचार एवं उद्यम विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।
6. विभिन्न जिलों में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी युवाओं तक पहुँचाने के लिए एक कौशल पंचाँग का निर्माण आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा किया गया है।

2. कौशल नियोजन व उद्यमिता प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

परिचय

राज्य में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के विकास व संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 अगस्त 1956 को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। निदेशालय में निदेशक(शिक्षा) (पॉलीटेक्नीक हेतु) व निदेशक (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई. हेतु) कार्यरत हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.08.2015 के अनुसार राजस्थान में युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों/ अभियानों/ मिशनों/ अधिनियमों व नियमों के क्रियान्वयन-नियोजन विभाग, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के पैरा संख्या 143 में की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में, दिनांक 23 मई, 2015 द्वारा राज्य मंत्रिमण्डल ने कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिये "Department of Skills, Employment and Entrepreneurship" (कौशल, नियोजन व उद्यमिता विभाग) का गठन करने का अनुमोदन किया है। इसके अनुसार कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता के संबंध में विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की प्रशासनिक स्थिति स्वतंत्र रूप से है, जिसके विभागाध्यक्ष 'आयुक्त' कौशल, नियोजन व उद्यमिता हैं तथा श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव विभागीय प्रशासनिक सचिव हैं। इस आयुक्तालय का मुख्यालय, जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित कौशल भवन परिसर में है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता का विवरण(सत्र 2015-16)

पाठ्यक्रम	राजकीय संस्थाएँ		निजी संस्थाएँ		योग	
	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता
आई.टी.आई.	223	72979	1598	271849	1821	344828

3 उत्पादन केन्द्र व एक आर.आई.केन्द्र को क्रमोन्नत कर नियमित आई.टी.आई. व शेष 85 स्थानों पर नये आई.टी.आई. खोलने की प्रक्रिया यथा भवन निर्माण, भूमि आवंटन का कार्य चल रहा है।

दस्तकार प्रशिक्षण योजना प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

राज्य में दस्तकार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015-16 में कुल 223 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। इन 223 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत व्यवसायों की कुल प्रवेश क्षमता 72979 है। उक्त संस्थानों में 09 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर तथा उदयपुर पूर्व से ही संचालित हैं तथा बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में 01 संस्थान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाँसवाड़ा की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोंक हेतु व्यवसाय प्रारम्भ करने की भी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त 1598 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 271849 है।

राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 36 नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसाय सहित कुल 76 विभिन्न व्यवसाय स्वीकृत हैं।

वर्ष 2015-16 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता :

1. राज्य में कुल 223 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल प्रवेश क्षमता 72979 है, जिनमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय पारी में 1424 यूनिट में 32190 स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रशिक्षण स्थान स्वीकृत हैं।
2. दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत संस्थान में स्व-वित्तपोषित आधार (Self-financing basis) पर द्वितीय एककों के संचालन की योजना।

उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत संचालित प्रशिक्षण इकाइयों के स्वीकृत स्थानों में वृद्धि हेतु एक योजना प्रारम्भ की गई है।

इसके तहत जिन स्थानों पर व्यवसाय की एक-एक इकाइयाँ संचालित हैं, उनमें संस्थान विकासकोष के माध्यम से हस्त-औजार क्रय कर द्वितीय इकाइयाँ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। योजना वर्ष 2007-08 में चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित की गई। वर्तमान में 212 संस्थानों में 1424 यूनिट में 32190 स्थान स्वीकृत हैं।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की अन्य योजनाएँ

1. परिधान प्रशिक्षण डिजाइन सेंटर (A.T.D.C.) :- आर.एस.एल.डी.सी. एवं ATDC के मध्य प्रति प्रशिक्षणार्थी 2400 रुपये की गैप फंडिंग हेतु एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अन्तर्गत ATDC द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु आर.एस.एल.डी.सी.

द्वारा 2400 रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी एटीडीसी को भुगतान किया जा रहा है। ATDC द्वारा 31 जनवरी 2016 तक कुल 1400 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया गया है।

2. विशेष योग्यजनों हेतु योजना :- विशेष योग्यजन के प्रशिक्षण एवं रोजगार/स्वरोजगार हेतु निगम द्वारा विशेष योजना निर्मित की गई है जिसके अन्तर्गत सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता के द्वारा 64 विशेष योग्यजन को उदयपुर में प्रशिक्षित किया गया है। इस क्रम में निगम द्वारा नयी गाइडलाइन तैयार कर अभी तीन प्रशिक्षणप्रदाता एजेन्सियों क्रमशः लेन केलर, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ एवं सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट के साथ MoU पारित किया गया है जिनके द्वारा 350 विशेष योग्यजनों का प्रशिक्षण जयपुर, भीलवाड़ा एवं चुरू में किया जाएगा।

3. बायो मेडिकल अकादमी :- राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालयों में निजी जन-सहभागिता के आधार पर बायो मेडिकल अकादमी की स्थापना की गई है, इस हेतु आर.एस.एल.डी.सी. एवं चिकित्सा विभाग के मध्य MoU किया गया है। प्रथम चरण में झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज झालावाड़ द्वारा EOI (Expression of interest) जारी कर Biomedical Academy (limited liability partnership) के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2015 को MoU किया गया है। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में ही प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया जायेगा।

4. केटरपिलर उत्कृष्टता का केन्द्र :- केटरपिलर, आर.एस.एल.डी.सी. एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (प्रशिक्षण) के मध्य झालावाड़ आईटीआई को अपग्रेड कर विश्वस्तरीय आईटीआई में परिवर्तित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु MoU हस्ताक्षरित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इस केन्द्र का उद्घाटन दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को झालावाड़ में किया गया। इस आई.टी.आई. परिसर को उत्कृष्टता का केन्द्र (Center of Excellence) भी बनाया जाएगा। इसके अन्तर्गत मृदा- धरती हस्तान्तरण उपकरण (Earth Moving Equipments) के संचालन रखरखाव, निर्माण एवं माइनिंग सेक्टर्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निम्न विशेष पहल (Special Initiative) की जा रही है:-

1. उद्योग आधारित EOI (EXPRESSION OF INTEREST) :- आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप हेतु पृथक EOI (EXPRESSION OF INTEREST) का प्रकाशन एवं इंडस्ट्रीज के साथ उनकी यूनिट में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

2. सर्किट हाउस स्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :- सरकार द्वारा सर्किट हाउस, डाक बंगलों व अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए हॉस्पिटैलिटी में कौशल प्रशिक्षण/जलपान कार्यप्रणाली के संदर्भ में एक प्रारंभिक (पायलेट) परियोजना बनायी गयी, जिसे ग्रेड सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारियों और अन्य संबंधित के साथ विचार विमर्श के पश्चात अन्तिम रूप दिया गया। जयपुर के सर्किट हाउस में 25 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रदाता गुजरात अम्बुजा फाउंडेशन के माध्यम से दिया गया।

3. जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को प्रशिक्षण :- आरएसएलडीसी द्वारा जेल बंदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। वर्मी कल्चर और वर्मी खाद के प्रारंभिक बैच पूर्ण हो चुके हैं।

4. जयपुर किशोर गृह में युवाओं की ट्रेनिंग :- सरकारी बालिका गृह की युवतियों के लिये एक पायलेट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

5. सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ एमओयू ज्ञापन :- तृतीय पक्ष आकलन एवं प्रमाणन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ निगम द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं। वर्तमान में ब्यूटी एवं वेलनेस एसएससी, जेम्स एंड ज्वेलरी,

ट्यूरिज्म एवं हॉस्पीटैलिटी, हेल्थकेयर, अपेरिल, और होम फर्निशिंग, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, और सेक्यूरिटी क्षेत्र के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गए हैं।

6. नवीन एवं अपग्रेडेड एम.आई.एस सिस्टम तैयार किया गया है :- 11 अगस्त 2015 को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा नया एमआइएस (MIS) एकीकृत योजना प्रबंधन प्रणाली लांच किया गया। यह नवीन एमआइएस (MIS) विभिन्न योजनाएँ यथा ELSTP, RSTP, DDU-GKY, VTP, अन्य विशेष परियोजनाओं की स्थिति एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करने हेतु निर्मित किया गया है। यह नवीन एमआइएस (MIS) तंत्र राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजना कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाले सभी विभागों के लिए एक कॉमन इंटरफेस उपलब्ध करवाता है।

7. स्किल आईकॉन (Skill Icon) :- प्रशिक्षित युवाओं एवं अन्य हितधारकों के प्रयास की पहचान हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा 'स्किल आइकन' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रथम स्किल आईकॉन ऑफ द मंथ को माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा अप्रैल 2015 में सम्मानित किया गया। अब तक 9 अभ्यर्थियों को स्किल आईकॉन ऑफ द मंथ से सम्मानित किया जा चुका है।

8. ई-मित्र साझेदारी :- निगम द्वारा ई-मित्र के साथ साझेदारी की गयी है जिसके अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं का पंजीकरण ई-मित्र कियोस्क पर किया जाएगा। इस हेतु ई-मित्र रु. 20/- की फीस लेगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी प्रदान करेगा एवं प्रशिक्षण हेतु वांछित सूचना भी उपलब्ध कराएगा।

9. स्किल कलेंडर :- विभिन्न जिलों में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी युवकों तक पहुंचाने के लिए एक कौशल पंचांग का निर्माण कर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जो प्रतिमाह अपडेट किया जाता है, इससे अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ है। कौशल पंचांग द्वारा आशार्थी आगामी माहों में शुरू होने वाले कौशल प्रशिक्षणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

10. विश्व युवा कौशल दिवस समारोह 15 जुलाई 2015 :- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रथम युवा विश्व कौशल दिवस का आयोजन 15 जुलाई 2015 को राज्य के सभी जिलों में किया गया। प्रमुख कार्यक्रम HCM-RIPA में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा की गई। राज्य के प्रत्येक जिलों में रैलियों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।

11. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक :- जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर/ ए.डी.एम. की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में कौशल विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। इन बैठकों का आयोजन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुगम बनाने हेतु एवं स्थानीय भागीदारों की पहचान करने एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया जा रहा है।

12. छबड़ा बाराँ में एल. एंड. टी. द्वारा निर्माण क्षेत्र का प्रशिक्षण :- निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निगम द्वारा एक त्रिपक्षीय एमओयू एल एंड टी, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं आर.एस.एल.डी.सी. के मध्य माह दिसम्बर में कर लिया गया है। एल एंड टी प्रारंभ में निर्माण क्षेत्र के तीन पाठ्यक्रमों को सरकारी आईटीआई के परिसर में प्रारंभ करेगा।

13. राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ :- निगम के परिसर में "राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य प्रवासी कामगारों के कल्याण एवं राज्य के वे युवा जो विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक हैं को समर्थन एवं सेवाएँ प्रदान करना है। प्रकोष्ठ के गठनबाबत सूचना एवं इस कार्यक्षेत्र से संबंधित विवरण भारतीय उच्चायुक्त - इराक, यमन, कतर, सउदी अरब, अफगानिस्तान, यु.ए. ई., जार्डन एवं

मलेशिया को सूचित कर राजस्थान मूल के प्रवासी कामगारों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. रिसर्जेंट राजस्थान

राजस्थान राज्य, देश के सबसे तीव्र विकास करने वाले राज्य के रूप में पिछले कुछ सालों में उभर कर आया है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है। वर्ष 2014-15 में (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद 27.22 खरब रुपये रहा। गत 5 वर्षों में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जबकि वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 33186 रुपये (2004-05 के स्थिर मूल्य पर) रही, जिसकी विकास दर 6.43 प्रतिशत रही। अग्रिम अनुमानों के अनुसार अगले दो तीन वर्षों में औद्योगिकीकरण एवं नीतिगत पहल के फलस्वरूप औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 81 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इनको प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एमएसएमई नीति के साथ-साथ अन्य योजनाएँ भी जारी की हैं, ताकि इस क्षेत्र को अधिक बढ़ावा दिया जा सके। रिसर्जेंट राजस्थान समित को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं, :-

■ जयपुर और अजमेर में एमएसएमई (MSME Investment Facilitation Centre) स्थापित किया जाना है,

■ सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए चरणबद्ध रूप से Livelihood business incubator की स्थापना की जानी है।

■ प्रदेश के शिल्प का स्तर उन्नत करना तथा बाजार विकसित करना। वर्तमान में राजस्थान राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसका कारण बड़े, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से अर्जित की गई आय है। वर्तमान में राज्य के बड़े उद्योगों ने लगभग 1.8 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। मार्च, 2015 के आंकड़ों के अनुसार 1222 अरब रुपये की स्थायी पूँजी निवेश का सृजन भी हुआ है। जिसमें तीन बड़े जिले बाड़मेर, अलवर और चित्तौड़गढ़ अग्रिम हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में मार्च 2015 तक लगभग साढ़े सात लाख व्यक्तियों का रोजगार तथा 1.73 अरब रूपए का निवेश हुआ है। ऐसी इकाईयाँ ऑटो संघटक, हस्त शिल्प, पोर्ट्रेट, टेरा-कोटा, टैक्सटाईल आदि क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015

राजस्थान स्टार्टअप नीति का राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 9 अक्टूबर 2015 को शुभारम्भ किया। इस नीति का उद्देश्य राज्य को अग्रिम राज्यों की श्रेणी में लाना, तथा रिसर्जेंट राजस्थान नीति के अन्तर्गत राज्य को निवेश से निर्माण तक पहुँचाना है, जिसके उद्देश्य निम्नांकित हैं -

■ नये उद्यमियों, स्टार्टअप और नवीन विचारों को प्रोत्साहित तथा मूर्त रूप देना,

■ Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship Initiative (CIIE) का सुचारु रूप से संचालन करना,

राजस्थान औद्योगिक परिदृश्य 1. वृहद उद्योग

सर्वोच्च तीन जिले निवेश	1 बाड़मेर निवेश 296 मिलियन रुपये उद्योग माइनिंग और सेरेमिक	2 अलवर निवेश 243 मिलियन रुपये उद्योग ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स	3 चित्तौड़गढ़ निवेश 120 मिलियन रुपये उद्योग माइनिंग और एनर्जी
सर्वोच्च तीन जिले रोजगार	1 अलवर रोजगार 39938 मिलियन रुपये उद्योग ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स	2 भीलवाड़ा रोजगार 39250 मिलियन रुपये उद्योग वस्त्र और हैंडीक्राफ्ट	3 बांसवाड़ा रोजगार 20339 मिलियन रुपये उद्योग वस्त्र

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

सर्वोच्च तीन जिले निवेश	1 अलवर निवेश 43 मिलियन रुपये उद्योग ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स	2 जयपुर निवेश 28 मिलियन रुपये उद्योग वस्त्र और धातु आधारित	3 उदयपुर निवेश 17 मिलियन रुपये उद्योग माइनिंग और इंजीनियरिंग
सर्वोच्च तीन जिले रोजगार	1 जयपुर रोजगार 189575 मिलियन रुपये उद्योग वस्त्र और धातु आधारित	2 अलवर रोजगार 9487 मिलियन रुपये उद्योग ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स	3 जोधपुर रोजगार 20339 मिलियन रुपये उद्योग हैंडीक्राफ्ट और एगो प्रोसेसिंग

राजस्थान राज्य में आर्थिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 19-20 नवम्बर 2015 को राज्य की राजधानी जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया गया। इस समिट के तहत देश विदेश से 295 एमओयू हुए जिसके अन्तर्गत लगने वाले उद्योगों से करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस समिट के अन्तर्गत देश विदेश से आए उद्यमियों के बीच विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,21,199 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश होना है।

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट – एक दृष्टि में

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के दौरान राजस्थान सरकार तथा विदेश से आये उद्यमियों के बीच 3,21,199 करोड़ रुपये के 295 एमओयू हुए जिनके अन्तर्गत लगने वाले उद्योगों में करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

क्षेत्र	एमओयू संख्या	निवेश (करोड़ रु. में)	रोजगार
कृषि	10	2,402	5,317
शिक्षा	8	1,807	12,010
इन्फ्रास्ट्रक्चर	35	17,760	46,975
मन्युफैक्चरिंग	40	11,760	56,698
पर्यटन	122	5,783	18,617
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	36	4,752	81,605
पेट्रोलियम और खान	25	77,657	18,472
सड़क और उच्च मार्ग	5	35,446	
ऊर्जा	9	1,90,000	
कौशल विकास	9		

स्त्रोत : रिसर्जेंट राजस्थान निवेश से नवनिर्माण – सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2015

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के मुख्य बिन्दु निम्न हैं:-

- **राजस्थान सरकार और दक्षिणी आस्ट्रेलिया के बीच सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप:-** इसके अन्तर्गत राजस्थान में खानों के अधिकतम सदुपयोग और कम से कम वेस्टेज की विशेषज्ञता हासिल करना है, तथा नवीनतम तकनीक एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग मिल सकता है।
- **राजस्थान सरकार और मलेशिया के बीच एमओयू :-** स्मार्ट सिटी, राजमार्ग, सड़क निर्माण एवं शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए राज्य सरकार का मलेशिया के साथ 10 हजार करोड़ रुपये का एमओयू हुआ है।
- **राजस्थान सरकार और जापान के बीच एमओयू :-** इसके अन्तर्गत 685 करोड़ रुपये राशि के चार एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। ये एमओयू ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एयर कंडीशनर्स, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एवं फैब्रिकेशन फैक्ट्री से संबंधित हैं।
- **राजस्थान सरकार और सिंगापुर के बीच एमओयू :-** राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और सिंगापुर कॉरपोरेशन एन्टरप्राइजेज के मध्य राज्य के जोधपुर, उदयपुर शहर के आर्किटेक्चर, मास्टर प्लान तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- अन्य विशेष उपलब्धियाँ
- फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में निवेश हेतु आह्वान,
- ऑटो और ईएसडीएम (इलक्ट्रॉनिक डिजाईन एंड मन्युफैक्चरिंग) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **मेक इन इंडिया :-** इस नीति के अन्तर्गत राजस्थान सरकार कौशल विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बजट उपलब्ध कराकर, तथा उत्पादकता में वृद्धि कर रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रयास।

■ ट्रांसफोर्मिंग हैल्थकेयर डिलीवरी :- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिक आधारभूत ढाँचे को विकसित करने के लिए और गंभीर प्रयास किये जाएँगे। इसके अन्तर्गत राजस्थान में सबके लिए स्वास्थ्य बीमा प्रारम्भ करना तथा भामाशाह कार्ड धारियों को हैल्थ केयर से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा।

■ ट्यूरिज्म फोर सस्टेनेबल डवलपमेंट :- पर्यटन द्वारा सस्टेनेबल विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा कृष्णा सर्किट योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है, इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में द्वारिका-सांवलियाजी- नाथद्वारा-गोविन्ददेवजी आदि को जोड़ना है।

अभ्यास प्रश्न

1. बहुविकल्पात्मक प्रश्न

प्र. 1 पी.एम.के.वी.वाई. का पूर्ण अर्थ क्या है?

- (अ) प्रधानमंत्री कामगार विकास योजना (ब) प्रधानमंत्री कार्मिक विकास योजना
(स) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (द) प्रधानमंत्री कल्याण विकास योजना

प्र. 2 भारत में 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी है?

- (अ) 16.5 करोड़ (ब) 36.5 करोड़
(स) 6.5 करोड़ (द) 60.5 करोड़

प्र. 3 "मेक इन इण्डिया" अभियान भारत को किस दिशा में परिवर्तित करने की एक अहम पहल है?

- (अ) विनिर्माण केन्द्र (ब) आयात केन्द्र
(स) निर्यात केन्द्र (द) संचार केन्द्र

प्र. 4 राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का अध्यक्ष होता है?

- (अ) मानव संसाधन मंत्री (ब) वित्त मंत्री
(स) वाणिज्य मंत्री (द) प्रधानमंत्री

प्र. 5 कौशल नियोजन एवं उद्यमिता का आयुक्तालय कहाँ है ?

- (अ) जयपुर (ब) जोधपुर
(स) बीकानेर (द) कोटा

प्र. 6 दस्तकार प्रशिक्षण की सुविधा कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत है?

- (अ) 220 (ब) 223
(स) 233 (द) 254

2. अति लघूात्मक प्रश्न

प्र. 1. कौशल विकास से क्या आशय है ?

प्र. 2. स्किलिंग योजना के कोई दो बिन्दु लिखिए।

प्र. 3 एसएससी का पूरा नाम क्या है?

प्र. 4 बायो मेडिकल अकादमी से क्या आशय है?

प्र. 5. स्किल आइकॉन क्या है ?

प्र. 6. राज्य की अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ क्या हैं ?

प्र. 7. राजस्थान स्टार्टअप नीति का शुभारम्भ किसने व कब किया ?

प्र. 8. उद्यमी से क्या आशय है ?

3. लघूतरात्मक प्रश्न

प्र. 1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-

- (अ) परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाईन सेंटर (ब.) विशेष योग्यजनों हेतु योजना
- प्र. 2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताइए।
- प्र. 3. एसएससी के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए।
- प्र. 4. राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015 के उद्देश्य लिखिए।
- प्र. 5. रिसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए।
- प्र. 6. मेंक इन इंडिया मिशन पर टिप्पणी लिखिए।

4. निबन्धात्मक प्रश्न

- प्र. 1. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशेष पहल के अन्तर्गत समायोजित योजनाओं का वर्णन कीजिए।
- प्र. 2. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन कब किया गया, तथा इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
- प्र. 3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के विजन, मिशन एवं उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
- प्र. 4. राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही कौशल विकास की प्रमुख योजनाओं के नाम बताइए।
- प्र. 5. रिसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के दौरान राजस्थान सरकार तथा विदेशों से आये उद्यमियों के बीच किस प्रकार के एमओयू हुए।
- प्र. 6. राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा क्या है ? इसकी आवश्यकता को समझाइए।

जल स्वावलंबन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

राज्य जल नीति में जल प्रबन्धन हेतु राज्य विधानसभा, जिला परिषद् और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर ग्राम पंचायतों तक की भूमिका सुनिश्चित की गई है। राज्य जल नीति में एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन को राज्य में जल समस्या के समाधान के रूप में देखा गया है। विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं जन समुदाय के एकीकृत प्रयास से ही स्थायी जल प्रबन्धन संभव है। प्रारम्भ में किन्हीं बड़े सुधारों की आवश्यकता नहीं है अपितु आसानी से कार्यान्वित हो सकने वाला पहला कदम ही परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है।

राजस्थान जल संरक्षण मिशन के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि सभी संसाधनों को अभिसारित कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। यदि सभी विभागों (केन्द्र एवं राज्य), कॉरपोरेट घरानों, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठनों एवं जन सहयोग को सम्मिलित करते हुए जल संग्रहण एवं संरक्षण संबंधी आयोजना करके प्रभावी प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन किया जा सकता है। जल संरक्षण एवं संग्रहण की एकीकृत आयोजना से समस्त वित्तीय संसाधनों को एकत्रित कर राजस्थान जल संरक्षण मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी।

जन सहभागिता के बिना जल संरक्षण एवं संग्रहण जैसे कार्य सफल नहीं हो सकते हैं। जन सहभागिता के लिए अभियान के रूप में प्रचार-प्रसार कर जन जागृति किया जाना आवश्यक है। जन जागृति के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों का आमुखीकरण अति आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी हितगामियों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन किया जा रहा है। भूमि अविक्रमण और जल स्तर में कमी आने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर बढ़ रहे दबाव के परिणामस्वरूप खाद्यान्न, सामाजिक, आर्थिक, आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति गम्भीर चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। ग्रामीण समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार-सम्पन्न बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि और जल के संरक्षण के लिए सहभागी जल संरक्षण की संभावना को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

अनियमित वर्षा के कारण वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में अनिश्चितता रहती है। अत्यधिक भू-जल दोहन के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में जल स्तर प्रतिवर्ष गिर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबन्धन नहीं होने के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र प्रति वर्ष अकाल की चपेट में आता है। जिससे विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल तथा पशु चारे की समस्या रहती है। पेयजल एवं पशुओं के लिए चारे आदि की व्यवस्था पर सरकार को बहुत अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है एवं इससे सतत विकास प्रभावित होता है। उपरोक्त स्थितियों से निपटने के लिए "जल स्वावलंबन" 27 जनवरी 2016 को प्रारम्भ किया है जिसके प्रथम चरण की शुरुआत राज्य के 3529 गाँवों में की गई है। राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा अभियान का शुभारम्भ झालावाड़ जिले के 'गर्दन खेड़ी' ग्राम में किया गया।

राजस्थान राज्य जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र होकर सतही जल उपलब्धता अपेक्षाकृत अत्यंत न्यून है। भू-जल उपलब्धता परिदृश्य भी चिन्ताजनक होकर 90 प्रतिशत से अधिक ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में नहीं है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी है। ग्रीष्म काल में स्थितियाँ अत्यन्त विषम हो जाती है। प्रायः दुर्भिक्ष की विभीषिका का सामना करना पड़ता है (सारणी 1)। इससे राज्य का ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम स्तर पर न्यूनतम जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के रूप में एक अनूठी पहल की गयी है। इसके अन्तर्गत स्थानीय/ग्राम स्तर पर उपलब्ध जल संसाधन के संरक्षण, संग्रहण एवं संवर्धन हेतु आयोजना पूर्वक समन्वित प्रयास कर न्यूनतम जल उपलब्धता की दृष्टि से ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने का लक्ष्य है। अभियान के क्रियान्वयन के संदर्भ में फोर वाटर्स कॉन्सेप्ट (चार जल संकल्पना)की अति महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित की गई है।

सारणी 1 राजस्थान में 1901-02 से 2009-10 तक वर्षा की स्थिति

क्र.स.	सामान्यत से विचलन	वर्षों की संख्या
1	सामान्य से विचलन	1
2	अत्यधिक वर्षा (+60 प्रतिशत एवं अधिक)	15
3	अधिक वर्षा (+21 से + 59 प्रतिशत)	65
4	सामान्य वर्षा (-21 से -59 प्रतिशत)	28
5	नगण्य वर्षा (-60 प्रतिशत एवं कम)	0
	कुल	109

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सुचारू क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य जल स्वावलम्बन अभियान का गठन किया गया है। मिशन के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में राज्य निर्देशन समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल स्वावलम्बन टास्क फोर्स, जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।

राज्य निर्देशन समिति

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के चैयरमेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का गठन किया गया है।

राज्य निर्देशन समिति के कार्य

1. "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के समस्त 7 उद्देश्यों को क्रियान्वित करना।

2. नीति निर्धारण के संबंध में सलाह देना।
3. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति तैयार करना।
4. ग्राम कार्य योजना तैयार करने हेतु सलाह देना।
5. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण सुनिश्चित करवाना।
6. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
7. क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना।
8. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों को उपयोग में लेने हेतु प्लान तैयार करना।
9. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
10. समुचित गतिविधियों एवं कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करना।
11. कार्यों के मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र एजेन्सी की व्यवस्था करना (यदि आवश्यक हो तो)। राज्य में नदी बेसिन आधार पर जल संसाधनों को विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण गठित किया गया है।

जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स द्वारा "जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य योजना, विभिन्न विभागों के कार्यों में अभिसरण एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

टास्क फोर्स के कार्य

1. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना।
2. मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।
3. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण सुनिश्चित करवाना।

जिला प्रभारी मंत्री स्तर पर कार्यों की समीक्षा

जिले के प्रभारी मंत्री मिशन की नियमित समीक्षा करेंगे। इस हेतु संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

जिला प्रभारी स्तर पर गठित समीक्षा समिति के कार्य :

1. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. मिशन के कार्यों के सम्पादन हेतु विभिन्न माध्यमों से जनजागरूकता उत्पन्न करना एवं जन सहभागिता से अधिकाधिक निधियाँ प्राप्त करना।
3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु निधियों की उपलब्धता एवं इसके उपयोग की समीक्षा करना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप

चयनित क्षेत्रों में राशि के अभिसरण में आ रही कठिनाइयों का निवारण करना।
5 स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करना।
प्रभारी सचिव इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रभारी मंत्री का सहयोग करेंगे।

जिला स्तरीय समिति

जिला स्तर पर "जल स्वावलम्बन अभियान" की कार्य योजना के क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के कार्यों का अभिसरण करवाकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। वाँछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों को मनोनीत करने का अधिकार जिला कलक्टर को होगा।

जिन जिलों में वन विभाग का कलस्टर/वन विभाग की जलग्रहण परियोजनाएँ स्वीकृत हैं, उनके परियोजना के उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक परियोजना आमंत्रित सदस्य होंगे।

समिति के कार्य

1. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. राज्य निर्देशन समिति एवं टास्क फोर्स को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु कॉर्पोरेट जगत एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संसाधनों के उपयोग हेतु व्यवस्था करना।
4. विभिन्न केन्द्र एवं राज्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रचलित मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों में राशि का अभिसरण सुनिश्चित करवाना।
5. जिला कार्य योजना से मिशन के लिये उपलब्ध राशि में से कार्य स्वीकृत करना।

ब्लॉक स्तरीय समिति

ब्लॉक स्तर पर उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।


गाँवों की वरीयता सूची तैयार करना

- जिन गाँवों में आईडब्ल्यूएमपी/अन्य जलग्रहण योजना यथा "फोर वाटर कन्सेप्ट" आदि स्वीकृत हैं।
- जिन गाँवों में पेयजल पीने योग्य नहीं हैं अथवा उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है।
- जिन गाँवों में विगत 5 वर्षों में टेंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति की गई हो।
- जिन गाँवों को विगत 5 वर्षों में अकालग्रस्त/अभावग्रस्त घोषित किया गया हो।
- जिन गाँवों में कृषि का 70 प्रतिशत क्षेत्र बारानी हो।
- मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य योजनाओं में सम्मिलित आदर्श गाँव।
- जो गाँव वन विभाग में स्वीकृत कलस्टर अंतर्गत हो।
- जो गाँव इस योजना में भागीदारी/हिस्सा देने के लिए इच्छुक हो।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामों की प्राथमिकता तय की जाती है।

न्यूनतम जल उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकताएँ निम्नानुसार प्रतिपादित की गई हैं:—

- (क) मानव हेतु उपयुक्त एवं सुरक्षित पेय जल उपलब्धता ।
(ख) पशु-पक्षियों हेतु वाँछित जल उपलब्धता ।
(ग) मानव के दैनिक उपयोगार्थ जल उपलब्धता ।
- अकाल की विभीषिका के प्रभावों को कम करने के संदर्भ में, अल्पवृष्टि तथा असमयवृष्टि की स्थिति में खरीफ की फसल को बचाने हेतु और सिंचाई हेतु वाँछित न्यूनतम जल उपलब्धता ।
- क्षेत्र में रबी सिंचाई हेतु जल उपलब्धता ।



मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के मुख्य उद्देश्य

- राज्य में प्राप्त विभिन्न वित्तीय संसाधनों (केन्द्रीय, राज्य, कॉर्पोरेट जगत एवं ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन एवं जन सहयोग) का सहयोग लेकर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना ।
- ग्रामीणों एवं लाभान्वितों की जल के समुचित उपयोग के बारे में जाग्रत कर जनसहभागिता से कार्य सम्पादित कराना ।
- ग्राम स्तर पर ग्रामसभा में जल की समग्र आवश्यकता यथा पेयजल, सिंचाई, पशुधन व अन्य व्यावसायिक कार्यों हेतु आंकलन कर उपलब्ध समस्त स्रोतों से प्राप्त जल के अनुरूप जल बजट का निर्माण कर उसी के अनुरूप कार्यों का चिह्नीकरण कर प्रस्ताव पारित कर मिशन की ग्राम कार्य योजना तैयार करना ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भूगर्भीय जल एवं मिट्टी की नमी) को जल भराव क्षेत्रों की क्षमता को विकसित कर रोकना जिसमें जिले में उपलब्ध जल संग्रहण ढाँचों का उपयोग, अनुपयोगी जल ढाँचों का पुनरुद्धार/कायाकल्प कर क्रियाशील करना एवं नए जल संग्रहण ढाँचों का निर्माण करना ।
- जलग्रहण क्षेत्र/कलस्टर को इकाई मानते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कर जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर का विकास करना ।
- ग्राम को जल आत्मनिर्भर बनाकर पेयजल का स्थायी समाधान करना ।
- क्षेत्रों में जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाना ।

अभियान क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कई तरह की गतिविधियाँ संपादित की जाएँगी, जिनके अंतर्गत मुख्यतः नियमित रूप से समीक्षा, ऑनलाईन मॉनिटरिंग व्यवस्था, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, ग्राम कार्य योजना तैयार करना, गाँवों का चयन करना, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करना, गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ आयोजित करना, जन प्रतिनिधियों एवं अन्य फील्ड कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना, ग्राम कार्य योजना का ग्राम सभा से अनुमोदन कराना, कार्य संपादन हेतु मेन्यूअल तैयार करना, कार्य के तकमीनें तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करना, निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी करना, संपादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना एवं मानसून पश्चात् कार्यों के अंतिम परिणामों का अध्ययन करना आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

अभियान का कार्य क्षेत्र

राजकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थान, जनसहभागिता, नॉन रेजिडेन्ट विलेजर्स क्लब इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त/उपलब्ध निधियों से जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य सम्पादित कर राज्य के गाँवों को सूखा मुक्त किये जाने हेतु प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्रवार वाटर बजटिंग कर जल का स्थायी समाधान किये जाने हेतु राज्य में गाँवों को वरीयता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा एवं आगामी वर्षों (2016-17 से प्रारम्भ कर) में यथासंभव प्रति वर्ष 6,000 गाँवों को उक्त मिशन में सम्मिलित करते हुए राज्य के लगभग 21,000 गाँवों को उक्त मिशन में लाभान्वित कर जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाकर स्थायी समाधान किया जाएगा और शेष गाँवों में चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता कम अनुसार कार्य करवाए जाएंगे।

कार्य अवधि

- “मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान” की कार्य अवधि 4 वर्ष रहेगी।
- प्रत्येक वर्ष की कार्य योजना में स्वीकृत कार्य एक वर्ष में ही पूर्ण करने का लक्ष्य है। प्रयास यह रहे कि 30 जून तक कार्य पूर्ण करा लिए जाए जिससे कि जल संरक्षण कार्यों के परिणाम उसी वर्ष परिलक्षित हो सकें। केवल विशेष परिस्थिति में ही जिला समिति की स्वीकृति पर आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम— मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान से वाँछित परिणाम प्राप्त करने हेतु क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण संघटक है। इसी उद्देश्य से एक दिवसीय दक्ष प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त दक्ष प्रशिक्षक जिला स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशिक्षकों का दल तैयार करेंगे।

अभियान अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य

1. जलग्रहण क्षेत्र उपचार : डीप कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज, कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज,

फार्म पोण्ड्स, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली पिट, मिट्टी के बण्ड मय स्टोन पिंचिंग, खड़ीन, जोहड़, टाँका निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, गैबियन, कम्पार्टमेन्ट/कन्टूर/फील्ड बण्ड इत्यादि।

2. नाला उपचार : श्रृंखलाबद्ध छोटे-छोटे एनिकट, मिट्टी के चैकडेम, जल संग्रहण ढांचे, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली पिट और माईनर ईरिगेशन टैंक इत्यादि।

3. लघु सिंचाई योजना के कार्यों की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढीकरण कार्य, क्षेत्र में निर्मित बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के कार्य एवं जल स्रोतों /संरचनाओं को नालों से जोड़ने का कार्य।

4. जल संग्रहण ढाँचों की क्षमता बढ़ाना : मरम्मत एवं पुनरोद्धार/जीर्णोद्धार, कायाकल्प कर कियाशील करना, नालों से मिट्टी निकालकर गहरा एवं आवश्यकतानुरूप चौड़ा करना, नाला स्थिरीकरण।

5. पेयजल स्रोतों को सुदृढीकरण करने के कार्य, कुएँ एवं ट्यूबवैलों तथा कृत्रिम भू-जल पुर्नभरण संरचनाओं के पुर्नजलभरण का कार्य।

6. चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण।

7. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि हेतु फसल एवं उद्यानिकी की उन्नत विधियों (ड्रिप, सोलर पंप आदि) को बढ़ावा देकर फसल चक्र में व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देना। रबी, खरीफ एवं जायद फसलों को अधिकाधिक लेने के प्रयास करना।

परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी

कृषि विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, महात्मा गाँधी नरेगा योजना, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन, स्वयंसेवी संस्थाएँ, सहकारी संस्थाएँ, जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम विकास मण्डल (रजिस्टर्ड संस्थाएँ), भू-जल विभाग, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत विभाग /संस्था /संस्थान/विशेषज्ञ।

सफलता के सूचकांक

मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित ग्राम कार्य योजना एवं विभिन्न गतिविधियों के लक्षित परिणामों की समीक्षा निम्न सूचकांकों की कसौटी पर की जाएगी। परियोजना पूर्व की स्थिति जो बेस लाईन सर्वे में दर्ज की गई है, के विरुद्ध परियोजना क्रियान्वयन उपरान्त विभिन्न घटकों में आये परिवर्तन के आधार पर परियोजना की सफलता को मापा जा सकेगा।

“मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान” अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु प्रमुख सूचकांक निम्नानुसार है :-

1. सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि। (कृषि एवं राजस्व विभाग)
2. फसल चक्र में परिवर्तन। (कृषि एवं राजस्व विभाग)
3. गाँव में बाह्य जल स्रोतों से जलापूर्ति में कमी आना। (जन स्वास्थ्य अभि. विभाग)
4. अकाल की पुनरावृत्ति में कमी आना। (राजस्व विभाग)
5. कृषि वानिकी, उद्यानिकी पौधों की संख्या में वृद्धि। (कृषि एवं उद्यानिकी विभाग)
6. कृषि ऋण/ किसान कार्ड का सामयिक भुगतान। (सहकारिता विभाग)
7. भूगर्भीय जल की गुणवत्ता में सुधार। (जन स्वास्थ्य अभि. विभाग)

8. पशुओं के मौसम आधारित पलायन में कमी। (सर्वे अथवा पशुपालन विभाग)

अभियान के परिणाम (Output)

मिशन में क्रियान्वित गतिविधियों के लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिन्दुओं पर प्राप्त परिणामों को एक निश्चित समय अन्तराल के उपरान्त दर्ज किया जाएगा एवं उक्त परिणाम क्रियान्वित कार्य योजना की सफलता को प्रदर्शित करेंगे।

1. जलग्रहण क्षेत्र की मुख्य धारा में अंशतः पानी बहता रहेगा तथा छोटे झरनों के तल में मई-अप्रैल तक पानी का प्रवाह रहेगा।
2. कम से कम 40 प्रतिशत बारानी क्षेत्र (वर्षा आधारित) को सिंचित किया जा सकेगा।
3. मुख्य धाराओं में वर्षा से बहने वाले पानी में गंदलेपन की मात्रा कम होगी।
4. अन्ततः इन गाँवों में अकाल की सम्भावनाओं को नगण्य किया जा सकता है, जिसका अर्थ है भू-जल से गाँवों की समस्त पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है एवं गर्मी में भी भू-जल बहुवर्षीय सदाबहार वृक्षों की सिंचाई हेतु उपलब्ध रहेगा।
5. भू-जल स्तर में वृद्धि/गिरते हुए भू-जल स्तर को रोकना। (भू-जल विभाग) जिससे वर्तमान में 30 मीटर पर उपलब्ध भू-जल की 3 मीटर पर उपलब्धता रहेगी।
6. जल आत्म निर्भर ग्राम का निर्माण (टेन्कर आपूर्ति से मुक्त) सूखा/अकाल से मुक्ति हेतु एवं जल का स्थायी समाधान।
7. भू-जल स्तर में वृद्धि एवं गिरते भू-जल स्तर में कमी।
8. सिंचित क्षेत्र में वृद्धि।
9. फसल पद्धति (Cropping Pattern) में बदलाव।

पेयजल योजनाओं में जल उपलब्धता में स्थायित्व।

अभ्यास प्रश्न

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत कौन सी दिनांक को की गई।
(अ) 26 जनवरी, 2016 (ब) 27 जनवरी, 2016
(स) 15 अगस्त, 2016 (द) 16 अगस्त, 2016
2. मुख्य सचिव कौन सा समिति का अध्यक्ष होता है।
(अ) टास्क फोर्स (ब) समीक्षा समिति
(स) जिला स्तरीय समिति (द) ब्लॉक स्तरीय समिति
3. राज्य स्तरीय निर्देशन समिति का अध्यक्ष होता है।
(अ) जिला कलेक्टर (ब) राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के चैयरमेन
(स) मुख्यमंत्री (द) जिला प्रभारी मंत्री
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में प्रथम वर्ष में चयनित गाँवों की संख्या है ?
(अ) 2215 (ब) 3529
(स) 4000 (द) 6000
5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत कार्ययोजना में स्वीकृत कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि है?
(अ) 30 जून (ब) 31 जुलाई

(स) 31 दिसम्बर (द) 31 मार्च

(ब) अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा कब और कहाँ किया गया ?
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामों को जोड़ना है ?
3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत कितनी समितियाँ गठित की गयी है ?
4. ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का अध्यक्ष कौन होता है ?

(स) लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान क्या है ?
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत गठित राज्य निर्देशन समिति के क्या कार्य हैं ?
3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र उपचार के लिए चार महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ लिखें ।
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान टास्क फोर्स के क्या कार्य होते हैं ?

(द) निबंधात्मक प्रश्न

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत गठित राज्य निर्देशन समिति के क्या कार्य हैं ?
3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सफलता के सूचकांक का उल्लेख करें ।
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत गाँवों की वरीयता सूची तैयार करने हेतु निर्धारित बिन्दुओं का उल्लेख करें ।
5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के परिणामों के आकलन हेतु निर्धारित बिन्दुओं का उल्लेख करें ।

उत्तरमाला— 1. (ब) 2. (अ) 3. (ब) 4. (ब) 5. (अ)

भामाशाह योजना

पृष्ठभूमि एवं परिचय—

भारत कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए देश के सभी राज्य वहाँ की भोगौलिक, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ वहाँ के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए चलाते हैं। इन योजनाओं के कारण समय के साथ-साथ राज्य में जनता की जीवन शैली, खानपान, रहन-सहन, जीवन स्तर, दिनचर्या, सुविधाओं के उपभोग की प्रकृति, रोजगार स्तर, आय स्तर, गांवों और शहरों की बसावट इत्यादि में निरन्तर परिवर्तन एवं सुधार होता रहता है। इसके साथ-साथ इन योजनाओं से राज्य में जनसंख्या के व्यवसायिक वितरण, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत आपूर्ति, सड़क, बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार जैसे सेवा क्षेत्र में विकास एवं विस्तार होता है। इसीलिए केन्द्र एवं राज्य सरकार भी इन क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान देती है, जिससे जनकल्याण में निरन्तर वृद्धि होती रहे और देश और राज्यों के आर्थिक विकास में तीव्र गति से विकास हो सके।

इन सब प्रयासों के बाद भी समाज का कोई तबका या वर्ग इन जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है या उसे इन योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि अन्य वर्गों के त्वरित गति से विकास कर जाने के कारण वह वर्ग दब जाता है या अन्य वर्ग उस वर्ग का भी हक छीनने का प्रयास करते हैं। इसीलिए समानता के साथ न्याय संगत विकास करने के उद्देश्य से समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारें पूर्व से चल रही योजनाओं में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर उन्हें अधिक विस्तृत बना देती है या उनका स्वरूप सीमित कर दिया जाता है या वंचित वर्ग विशेष को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए या मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने के लिए या वर्ग विशेष के कल्याण में वृद्धि करने लिए नवीन कल्याणकारी योजना प्रारंभ करती है। इन योजनाओं में यह प्रयास किया जाता है कि बिना किसी व्यवधान एवं अवरोध के योजना के वास्तविक अधिकारिक लाभार्थी को योजना का पूरा लाभ मिले।

योजनाओं के अकुशल क्रियान्वयन, प्रशासनिक अनुभवहीनता, सामाजिक जागरूकता का अभाव, अत्यधिक कागजी कार्यवाही का होना समीपस्थ सेवा केन्द्र का नहीं होना, योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन में अत्यधिक खर्चा और अत्यधिक विलम्ब से लाभ प्राप्ति इत्यादि अनेक कारणों से आम जनता में योजना के प्रति उदासीनता आ जाती है या योजना के पूर्ण लाभ से लाभार्थी वंचित हो जाता है।


इसीलिए पिछले दशक में राजस्थान सरकार ने योजनाओं को पारदर्शी, स्पष्ट, सीमित एवं न्यूनतम खर्च वाली कागजी कार्यवाही, आवेदन का सरल प्रारूप, शहरों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने की नीति को अपनाया शुरू किया है। इसके साथ-साथ वास्तविक एवं अधिकारिक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, आवेदन के साथ-साथ सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर तुरंत लाभ दिलवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर ही शिविर के आयोजन प्रारंभ किया है जिसमें पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत समिति, तहसील कार्यालय प्रतिनिधि तथा आवश्यकता होने पर उपखण्ड स्तर के कार्यालय एवं बैंक प्रतिनिधियों की उपस्थिति को

सुनिश्चित किया जा रहा है तथा जिनका आधार कोई नहीं है, उनके आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था भी उन्हीं शिविर में सुनिश्चित की जा रही है।

इसीलिए योजनाओं में नामांकन के साथ प्रार्थी द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाएं और दस्तावेजों का सत्यापन शिविर में ही पटवारी, ग्राम सेवक और नामित अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा बैंक द्वारा बायोमैट्रिक विधि से प्रार्थी के वास्तविक एवं अधिकारिक लाभार्थी होने का सत्यापन कर लिया जाता है। इससे सरकार एवं लाभार्थी के बीच या योजना क्रियान्वित करने वाली संस्था या प्रशासनिक व्यवस्था तथा लाभार्थी के बीच सीधा संवाद होता है। योजना में स्पष्ट होता है कि लाभार्थी कौन होगा, आवेदन किस माध्यम से कैसे होगा, लाभ प्राप्ति का माध्यम और आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। इससे योजना का लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे सरकार द्वारा हस्तान्तरित कर दिया जाता है। विकास के ऊँचें सोपान छूने के बाद भी देश में, राज्य में, समाज में और परिवार में वह महिला जो हमारी सभी गतिविधियों का केन्द्र है, जो परिवार को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है वह आज भी आर्थिक असुरक्षा से त्रस्त है। वह आज भी परिवार में अपने विवेक से परिवार हित में कोई राय, सुझाव या निर्णय को परिवार में पुरुषों के समक्ष नहीं रख सकती है और न ही उस पर ध्यान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला आज भी उपेक्षित है, सशक्त नहीं है।

भामाशाह योजना, 2008 –

वर्ष 2008 में राजस्थान सरकार ने महिला को स्वावलम्बी तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, महिला को परिवार में, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए तथा उसे अपने विवेक के अनुसार व्यय करने की स्वतंत्रता दिलवाने के लिए भामाशाह योजना शुरू की गई।



इस योजना में परिवार में महिला को प्रथम बार मुखिया बनाया गया तथा उस महिला मुखिया को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए, महिला मुखिया के नाम से ही बैंक में बचत खाता खोला जाना निश्चित किया गया है। उस खाते में भामाशाह योजना का लाभ सरकार द्वारा हस्तान्तरित करना निश्चित किया गया इस राशि का उपयोग महिला मुखिया द्वारा अपनी इच्छानुसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस खाते का उपयोग

सिर्फ महिला मुखिया द्वारा राशि जमा करवाने, राशि हस्तान्तरण और राशि के निकासी के लिए किया जाएगा। अन्य द्वारा छदम नाम से योजना का लाभ लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए तथा वास्तविक अधिकारिक लाभों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा जिसमें लाभार्थी के अगूटे, अंगुलियों तथा आँखों की पुतलियों का प्रमाणित विवरण दर्ज रहता है। आधार कार्ड पर अंकित संख्या व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है। इसलिए योजना के वास्तविक अधिकारिक लाभार्थी की पहचान सरलता से आधार कार्ड द्वारा पहचान की जा सकती है। राज्य सरकार की सभी जनकल्याण योजनाओं को पारदर्शी बनाने में आधार कार्ड की भूमिका अहम होती है।

जिस परिवार में महिला मुखिया के पास आधार कार्ड नहीं है उन महिला मुखिया के भामाशाह नामांकन शिविर में आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है। इसी शिविर में लाभार्थियों का बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रतिनिधियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है और ग्राम सेवक, पटवारी तथा जिलाधीश द्वारा नामित अधिकारी आवेदक को सूचनाओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कर बिना किसी विलंब एवं अनावश्यक भागदौड़ के आवेदक को योजना से जोड़ते हैं।

वर्ष 2008 में प्रारम्भ भामाशाह योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को पंद्रह सौ रूपए प्रोत्साहन राशि उसके बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे खाते में जमा कराने का प्रावधान था। इस योजना में 50 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य था लेकिन 45.78 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया तथा 29.07 लाख परिवारों के बैंक में बचत खाते खोले गए तथा उन्हें बहुउद्देशीय भामाशाह कार्ड वितरित किए गए। भविष्य में नरेगा, पेंशन, अनुदान, स्वास्थ्य बीमा, बी.पी.एल कार्ड, छात्रवृत्ति इत्यादि योजनाओं को भामाशाह योजना से जोड़ने का प्रावधान है इसीलिए भविष्य में भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही यह सभी लाभ लाभार्थी को प्राप्त हो सकेंगे तथा पृथक-पृथक योजना के लिए पृथक-पृथक कार्ड रखने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। भामाशाह कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज होता है इसलिए यह कार्ड पहचान के साथ-साथ अधिकारिता को भी प्रमाणित करेगा।

भामाशाह योजना-2014 – भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की देश की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना (DBT) योजना है। आवश्यक सुधारों एवं संसाधनों के साथ विस्तृत रूप से देश के 68 वें स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान सरकार ने उदयपुर से इस योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की। इस योजना में परिवार में 21 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया बनेगी और इसी महिला मुखिया का बैंक में बचत खाता सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार शून्य शेष (Zero Balance) पर खोला जाएगा। इस खाते का संचालन सिर्फ महिला मुखिया द्वारा ही किया जाएगा। जिस परिवार में महिला मुखिया 21 वर्ष से कम आयु की है उस स्थिति में पुरुष सदस्य तभी तक परिवार का मुखिया रहेगा जब तक वह महिला 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है।

भामाशाह योजना में नामांकन के लिए आवेदक के पास स्वयं की पहचान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज एवं आवास की पुष्टि करने वाला दस्तावेज होना चाहिए। आवेदक की पहचान तथा आवास की पुष्टि करने के लिए निम्न दस्तावेज हो सकते हैं:-

1. राशन कार्ड
2. मतदाता कार्ड
3. नरेगा जॉब कार्ड
4. पैन कार्ड

5. बी.पी.एल कार्ड
6. पैन कार्ड
7. आधार कार्ड
8. पास-पोर्ट
9. पानी, बिजली, टेलीफोन बिल
10. ड्राइविंग लाइसेंस
11. फाटो युक्त बैंक की पास बुक

भामाशाह योजना में परिवार के सभी सदस्यों का नाम नामांकित किया जाता है इसलिए नामांकन के समय सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पारिवारिक समूह में नामांकित कर एक भामाशाह कार्ड जो बहुउद्देशीय होगा, जारी करना है। नामांकन के वक्त आवेदक के पास कोर बैंकिंग समर्थित किसी भी बैंक में स्वयं के नाम का बचत खाता होना आवश्यक है। अगर किसी आवेदक के पास कोर बैंकिंग समर्थित बैंक का बचत खाता नहीं है तो नामांकन शिविर में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों द्वारा बचत खाता खोला जाएगा, जिसमें कोई भी राशि जमा करवाने की बाध्यता आवेदक के लिए नहीं होगी क्योंकि वह खाता शून्य शेष (Zero Balance) खाता होता है। अगर कोई अव्यस्क भी राज्य सरकार की किसी भी योजना का नगद या गैर नगद लाभ प्राप्त करने हेतु भामाशाह योजना में नामांकन करवाना चाहता है तो उसे भी बैंक में बचत खाता परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के साथ संयुक्त रूप से खुलवाना होगा क्योंकि नियमानुसार बैंक अव्यस्क के नाम किसी भी प्रकार का कोई खाता नहीं खोल सकते हैं।

भामाशाह योजना की आवश्यकता

1. **वित्तीय समावेशन की आवश्यकता** – राज्य में अधिकांश परिवारों के बैंक खाते नहीं खुले हुए थे, जिससे वे अधिकांश वित्तीय लाभ/सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, ऋण आदि) लेने में असमर्थ थे। अतः राज्य के नागरिकों का वित्तीय समावेशन एक महती आवश्यकता थी।
2. **महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता** – महिलाओं के नाम पर बैंक खातों का सामान्यतः अभाव था, इससे पारिवारिक निर्णयों एवं खर्चों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं हो पाती थी, उसका स्तर परिवार में गौण था।
3. **समान डेटा बेस की आवश्यकता** – विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सर्वे करवाया जाता था, जिससे बड़े स्तर पर भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा किसी परिवार/व्यक्ति की लगभग समान सूचनाएं बार-बार एकत्रित की जाती थी। कई बार एक ही परिवार/व्यक्ति की सूचनाओं में असमानता भी पायी जाती थी। जिससे समय, धन व श्रम की बर्बादी होती थी। इस हेतु राज्य के नागरिकों के एक समान डेटा बेस की आवश्यकता थी।
4. **संसाधनों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता** – विभिन्न योजनाओं के लाभ/सेवाएं भिन्न-भिन्न प्रक्रिया से लाभार्थियों को प्रदान की जाती थी, जिससे सरकारी धन व संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता था।
5. **परिवार पहचान की आवश्यकता** – भामाशाह योजना से पूर्व राज्य के निवासियों के पास परिवार का कोई पहचान संबंधी कार्ड/दस्तावेज नहीं था, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की फोटो सहित अन्य सूचनाएं दर्ज हो।
6. **घर के नजदीक सेवाओं की आवश्यकता** – राज्य में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का तीव्र गति से विकास नहीं हो पा रहा था।

7. वास्तविक हकदार को लाभ प्रदान करने की आवश्यकता – किसी भी योजना का लाभ वास्तविक हकदार व्यक्ति को ही पूरा व पारदर्शी रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। अतः एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जो इस लक्ष्य के साथ-साथ उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति भी कर सके।

भामाशाह नामांकन हेतु पात्रता

राजस्थान राज्य का प्रत्येक नागरिक परिवार भामाशाह नामांकन करवा सकता है।

परिवार का मुखिया

1. भामाशाह नामांकन हेतु परिवार को 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रूप में नामांकित करवाना होता है।
2. यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है, तो पुरुष मुखिया हो सकता है।
3. यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति परिवार के मुखिया के रूप में नामांकित किया जाता है।

भामाशाह नामांकन की प्रक्रिया

भामाशाह नामांकन दो प्रकार से किया जाता है :-

1. ऑफलाईन नामांकन
2. ऑनलाईन नामांकन

ऑफलाईन नामांकन – राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तथा शहरी वार्डों में 2 से 5 दिवस के भामाशाह नामांकन शिविरों का आयोजन किया गया था। इन शिविरों के उपरान्त ऐसे क्षेत्र जहां नामांकन कम हुआ था वहां स्थानीय प्रशासन द्वारा फॉलोअप शिविरों का भी आयोजन किया गया था। इन शिविरों में नामांकन तथा बैंक खाते खोलने का कार्य किया गया था।



अब शिविरों का आयोजन नहीं किया जाकर केवल ऑनलाईन नामांकन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के सभी ई-मित्रों केन्द्रों को भामाशाह नामांकन हेतु स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया जा चुका है। अतः आम नागरिक घर के नजदीक ई-मित्र पर कभी भी नामांकन करवा सकता है।

ऑनलाईन नामांकन –

1. कोई भी नागरिक भामाशाह योजना की वेबसाइट www.bhamashah.rajasthan.gov.in पर भी स्वयं भामाशाह नामांकन कर सकता है।
2. राज्य के सभी ई-मित्र केन्द्रों/अटल सेवा केन्द्रों पर भी ऑनलाईन भामाशाह नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
3. चूंकि भामाशाह नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। अतः ऑनलाईन नामांकन सुविधा भी सतत उपलब्ध है।



भामाशाह नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज –

1. परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग फोटो
2. परिवार के मुखिया के कोर बैंक समर्थ बैंक खाते की प्रति
3. परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य का आधार प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी से संबंधित दस्तावेज हैं जैसे –
 - i. बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल की प्रति,
 - ii. मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की प्रति,
 - iii. मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की प्रति
 - iv. परिवार के सदस्यों की बैंक पास बुक, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति।
 - v. किसी भी राजकीय योजना जिससे परिवार लाभान्वित हो रहा है/होगा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति।

भामाशाह नामांकन/कार्ड में संशोधन/अद्यतन हेतु शुल्क

राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों का एक बार निःशुल्क नामांकन किया जा रहा है। भामाशाह कार्ड बनने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन करवाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होता है।

चूंकि भामाशाह नामांकन एक सतत प्रक्रिया है अतः राज्य के समस्त ई-मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है। यदि किसी नामांकित परिवार को भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन करवाना हो तो नजदीकी

ई-मित्र पर संशोधन करवाया जा सकता है।

भामाशाह नामांकन में दर्ज की जाने वाली सूचना

सभी सरकारी लाभ सीधे, शीघ्र व पारदर्शी रूप से लाभार्थी को प्राप्त हो तथा किसी भी लाभ को प्रदान करने के लिए बार-बार लाभार्थी से दस्तावेज नहीं लेने पड़े, इसके लिए लाभार्थी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित विभिन्न दस्तावेज की प्रति ली जाती है।

परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित सूचनाएं –

1. आधार पहचान संबंधी सूचनाएं – नाम, जन्म, लिंग, पता और बायोमैट्रिक निशान की तिथि, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण।
2. बुनियादी जनसांख्यिकीय संबंधी सूचनाएं – वैवाहिक स्थिति, आय, अल्पसंख्यकता, वर्ग, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, परिवार पहचान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, बैंक खाता इत्यादि।

भामाशाह कार्ड

1. प्रत्येक परिवार के 7 अक्षरों की यूनिक आई.डी. सहित भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है।
2. राज्य सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड को परिवार/सदस्य की पहचान व पते का कार्ड घोषित किया जा चुका है।
3. भामाशाह कार्ड परिवार को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकित परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड चाहता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जाता है।
4. प्रारम्भ में प्रत्येक नामांकित परिवार को निःशुल्क भामाशाह परिवार कार्ड संबंधित ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे, नागरिकों को स्थायी वितरण केन्द्र घोषित किया गया है। नागरिक अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर अपना भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है।
5. नामांकित परिवार भामाशाह पोर्टल से भामाशाह कार्ड जारी होने की स्थिति ज्ञात कर सकता है तथा ई-भामाशाह परिवार/व्यक्तिगत कार्ड का प्रिन्ट भी ले सकता है।

भामाशाह कार्ड के प्रकार व नमूना

परिवार का कार्ड – प्रत्येक परिवार को एक कार्ड निःशुल्क दिया जाता है, जिसमें एक ओर महिला मुखिया का फोटो, जन्म दिनांक, उसका बैंक खाता, आधार संख्या, घर का पता, दूसरी ओर सभी सदस्यों के फोटो, जन्म दिनांक, आधार संख्या इत्यादि सूचनाएं होती हैं।

व्यक्तिगत कार्ड – नामांकित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर व्यक्तिगत कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति की जानकारी यथा फोटो, जन्म दिनांक, उसका बैंक खाता, आधार संख्या, घर का पता, किसी योजना का लाभार्थी हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित होती है।

ई-भामाशाह कार्ड – नामांकित परिवार ई-भामाशाह कार्ड भी भामाशाह वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है। उसमें भी भामाशाह कार्ड की समस्त सूचनाएं अंकित होती हैं।

भामाशाह योजना के लाभ – राजस्थान सरकार द्वारा योजना के वास्तविक अधिकारिक लाभार्थी को लाभ दिलवाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण सेवा केन्द्र (अटल सेवा केन्द्र), ई-मित्र केन्द्र, बैंक शाखा तथा शहरो में वार्ड स्तर पर नामांकन शिविरों का आयोजन कर समीपस्थ सेवा केन्द्र पर सेवा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। सेवा का लाभ 3 से 5 कि.मी के दायरे में दिलवाना सुनिश्चित किया गया है। भामाशाह नामांकन के निम्न लाभ होंगे :-

1. आधार नामांकन होगा जिसमें भविष्य में सरकारी लाभों के प्राप्त करने के सत्यापन में प्रयोग होगा।
2. भामाशाह नामांकन के द्वारा निवासी एवं उसका समस्त परिवार प्रदेश की समस्त जनकल्याण योजनाओं से पात्रता रखने पर स्वतः ही जुड़ जाएगा।
3. प्रत्येक निवासी का बैंक बचत खाता खोला जाएगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निवासी के बचत खाते में लाभ सीधे हस्तान्तरित करने के लिए नामांकित कर लिया जाएगा।
5. बचत खाते में निकासी एवं जमा की सुविधा।
6. सरकार की गैर नगद वाली योजनाओं का लाभ भी बचत खाते में सीधे हस्तान्तरित होता है।

सितम्बर, 2015 तक कुल 95 लाख लाभार्थी परिवारों में से 90 लाख परिवारों का भामाशाह योजना में नामांकन हो चुका है। इस योजना के प्रथम चरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, जननी सुरक्षा योजना भुगतान तथा सरकारी राशन की दुकानों से राशन वितरण को भामाशाह प्लेटफार्म को जोड़ा जा चुका है। इस प्लेटफार्म से नगद लाभ हस्तान्तरण शुरू किया जा चुका है तथा 15 लाख लाभ हस्तान्तरण लाभार्थियों के बचत खाते में किये जा चुके हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना को भी भामाशाह से जोड़कर इसका नाम भामाशाह स्थान्तरण बीमा योजना कर दिया गया है। और इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के बजट 2014-15 में कर दी गई है। राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अन्तर्गत पात्र सभी परिवारों को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। यह उपचार अन्तरंग इलाज हेतु निशुल्क उपलब्ध होगी। इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड धारक को मिलेगा लेकिन कार्ड नहीं होने की स्थिति में उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) से संबंधित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी योजना का लाभ देय होगा। भामाशाह कार्ड धारक को सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार रु. 30,000/- तथा चिह्नित गम्भीर बीमारियों के लिए तीन लाख रुपये तक का बीमा होगा। ऐसे परिवार को बहिरंग रोगी के रूप में निशुल्क दवाएँ तथा निशुल्क जाँच की सुविधा मिलती रहेगी। इस योजना का एक लाभ राज्य को यह भी मिलेगा की अन्य राज्य से आने वाले रोगियों की निशुल्क जाँच व निशुल्क दवा के व्यय का भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कौशल विकास एवं रोजगार अवसर में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्र की “मुद्रा योजना” के साथ भामाशाह योजना को जोड़कर “भामाशाह रोजगार सृजन योजना” प्रारम्भ की है। इस योजना के द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार प्राप्त करने तथा स्व

रोजगार शुरू करने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे उनके कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च शिक्षा तथा तकनीति शिक्षा तथा विभिन्न प्रकार के विकलांगों को मिलने वाली सभी प्रकार छात्रवृत्ति भी भामाशाह प्लेटफार्म से जोड़ी गई है। इस प्रकार राज्य सरकार की नगद एवं गैर नगद लाभ प्रदान करने वाली सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न चरणों में भामाशाह प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा। इससे पूरे राजस्थान में भामाशाह योजना के माध्यम से सभी प्रकार के लाभार्थियों को जोड़ा जा सके और सभी लाभार्थी परिवार के एक-एक सदस्य का प्रमाणिक डेटाबेस तैयार किया जा सके। जिसे भामाशाह डेटा हब कहा जायेगा।

भामाशाह डेटा हब की उपयोगिता – भामाशाह डेटा हब में प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों की प्रमाणिक सूचना होने के कारण किसी भी योजना में उस परिवार की पात्रता होने पर वह परिवार स्वतः उस योजना से जुड़ जायेगा और योजना से जुड़ने के लिए उसे बार-बार पहचान प्रमाणित करवाने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी। भामाशाह कार्ड सभी योजना के लाभ प्राप्त का माध्यम होगा। भामाशाह डेटा हब विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होगा तथा राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने वाली होगी। यह डेटा हब श्रम शक्ति नियोजन नीति निर्माण में, योजनाओं के लाभ का दुरुपयोग रोकने, अपराधियों की पहचान करने तथा अपराध नियंत्रण में उपयोगी होगा। भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड भी जनता में अधिक उपयोगी साबित होगा क्योंकि आधार कार्ड व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है जबकि भामाशाह कार्ड लाभार्थी की पहचान के साथ उसे अधिकारिक लाभार्थी भी प्रमाणित करता है। भामाशाह कार्ड केन्द्र सरकार की “डिजिटल इण्डिया” कार्यक्रम की दिशा में सार्थक प्रयास है।

भामाशाह वेबसाईट एवं मोबाईल एप

1. भामाशाह योजना के माध्यम से सभी विभागों की योजनाओं के नकद व गैर-नकद लाभ प्राप्त करने के लिए भामाशाह वेबसाईट www.bhamshah.rajasthan.gov.in बनायी गई है।
2. इस वेबसाईट पर योजना की विस्तृत जानकारी, नवीनतम प्रगति तथा ऑनलाईन नामांकन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।
3. वेबसाईट पर नामांकित परिवार अपने भामाशाह कार्ड मुद्रण की स्थिति भी ज्ञात कर सकता है।
4. वेबसाईट पर नामांकित परिवार अपने परिवार/सदस्य का ई-भामाशाह कार्ड भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।
5. आम नागरिक को भामाशाह योजना के माध्यम से दिए जा रहे लाभ व अन्य नामांकन संबंधी जानकारी मोबाईल पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भामाशाह मोबाईल एप भी बनाया गया है। इस गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स अवार्ड

भारत सरकार द्वारा भामाशाह योजना की विशेष उपलब्धियों के लिए वर्ष 2015-16 का वित्तीय समायोजन क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स का स्वर्ण पुरस्कार राजस्थान सरकार को प्रदान किया गया है।



राजस्थान सरकार के अधिकारीगण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस से राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

अभ्यास

1. भामाशाह कार्ड का अवलोकन कर इससे जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. आधार कार्ड का अवलोकन कर आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया से अवगत होना।
3. भामाशाह योजना में स्वयं का, मित्रों का, परिवार के सदस्यों इत्यादि का नामांकन हेतु जानकारी जुटाना।
4. समीपस्थ बैंक शाखा, ई-मित्र केन्द्र, भारत निर्माण सेवा केन्द्र (आल सेवा केन्द्र), ग्राम सेवक तथा पटवार कार्यालय जाकर भामाशाह कार्ड से प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करना।
5. पहचान का कोई दस्तावेज नष्ट, क्षतिग्रस्त या खो जाने पर प्रतिकृति दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना।
6. उपरोक्त सभी अभ्यास कार्यों की जानकारी एकत्र कर लिखित में एक प्रति विद्यालय में रखवाना जिसका अवलोकन विद्यार्थियों द्वारा किया जा सके।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भामाशाह योजना 2008 में सरकार द्वारा बैंक में महिला मुखिया के नाम बचत खाता खुलवाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती थी।
 (अ) कोई राशि नहीं (ब) 500 रुपये
 (स) 250 रुपये (द) 1500 रुपये
2. ग्रामीण क्षेत्र में भामाशाह योजना की सेवा कहां उपलब्ध होगी।
 (अ) पंचायत भवन (ब) पंचायत समिति कार्यालय
 (स) भारत निर्माण सेवा केन्द्र (द) संरपंच द्वारा
3. आधार कार्ड द्वारा व्यक्ति को क्या सुविधा मिलती है?
 (अ) केरोसीन (ब) रसोई गैस
 (स) पेंशन (द) विशिष्ट पहचान
4. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य बीमारी के लिए कितनी राशि का बीमा है?
 (अ) 3,000 रुपये (ब) 30,000 रुपये
 (स) 300 रुपये (द) 3,00,000 रुपये

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न :-

1. भामाशाह योजना में खाता खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी थी?
2. भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया किसे बनाया गया?
3. देश की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का नाम क्या है?
4. भामाशाह प्लेटफार्म क्या है?
5. भामाशाह नामांकन में आवेदक की जानकारी का सत्यापन कौन करेगा?
6. परिवार के मुखिया का बचत खाता कौन से शाखा में होना चाहिए?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :-

1. भामाशाह योजना 2014 की प्रमुख विशेषता क्या है?
2. अवयस्क मुखिया की स्थिति में परिवार का मुखिया कौन होगा?
3. भामाशाह कार्ड बहुउद्देशीय कार्ड किस प्रकार है?
4. भामाशाह सेवा केन्द्र ग्रामों में तथा शहरों में कहां उपलब्ध होगी?
5. भामाशाह डेटा हब क्या है?

निबन्धात्मक प्रश्न :-

1. भामाशाह योजना 2014 में लाभार्थी कौन-कौन हो सकते हैं, उनका नामांकन किस प्रकार होगा तथा लाभ प्राप्ति का माध्यम क्या होगा?
2. राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से सभी को क्यों नहीं मिला या कुछ वर्ग लाभ से वंचित क्यों रह गए? इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?
3. भामाशाह योजना में नामांकन करवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज हाने चाहिए और नामांकन के क्या लाभ होंगे ?
4. भामाशाह योजना से मिलने वाले लाभों को विस्तार से बताइये ।

उत्तर :- 1. (द) , 2. (स) 3. (द) 4. (ब)